उच्च शिक्षा को समर्पित

A. K. COLLEGE
SHIKOHABAD
1916

योगः कर्मसु कौशलम्

स्थापित वर्ष
1916

आदर्श कृष्ण महाविद्यालय

Address: Railway Stn., Shikohabad-283141, Distt.(Firozabad, U.P.)
Aided by U.P. Govt., Recognised By N.C.T.E.

Affiliated to: Dr. B.R.A. University, Agra

शिकोहाबाद–283141 (उ.प्र.)

विवरण पुस्तिका
Prospectus | 2026-27

मूल्य– 400/–

05676-234416

महाविद्यालय संस्थापकों में अग्रणी

''स्व. चौ. श्याम सिंह जी यादव''
(पूर्व जमींदार, उरावर स्टेट)

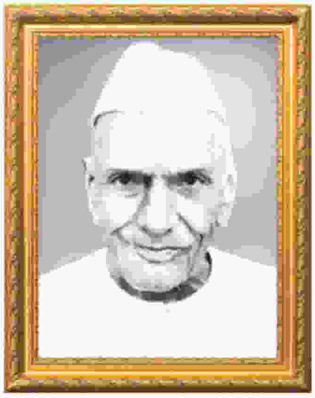

''स्व. श्री कामता सिंह जी यादव''
(पूर्व जमींदार, भारौल स्टेट)

''स्व. श्री गजराज सिंह जी यादव''
(पूर्व जमींदार, रूपधनी स्टेट)

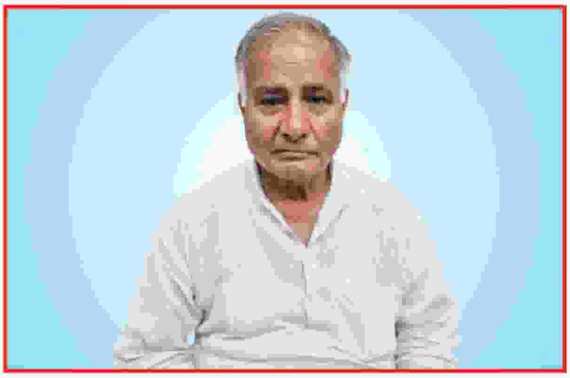

श्री राम शंकर (सचिव)

प्रो. (डॉ.) दीदार सिंह (प्राचार्य)

सन् १९१६ में स्थापित नगर के प्राचीनतम्, प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण, आदर्श कृष्ण महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र २०२६-२७ में विभिन्न संकायों में प्रवेश लेने वाले समस्त छात्र-छात्रओं का एवम् उनके अभिभावकों का हार्दिक स्वागत है, उनको हार्दिक बधाई है। शिक्षा मानव समाज के सर्वांगीण विकास की आधारशिला है। मानव को विवेकशील, संस्कारवान बनाकर शिक्षा निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा देती है। किसी भी सभ्य समाज के अनुभूत सत्य की साक्षी शिक्षा ही है। शिक्षा जगत में सूचना एवम् संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग, अध्ययन-अध्यापन की अधिकांश क्रियाओं में किया जाने लगा है।

कठोर परिश्रम, शिक्षा के प्रति गहन लगन, समय प्रबन्ध के माध्यम से आप उन सभी उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं जिनको पाने के लिए आपके माता-पिता आशान्वित हैं। हमें विश्वास है कि हमारे सभी छात्र एवम् छात्रयें प्रबुद्ध एवम् विविध कौशलों से परिपूर्ण सभ्य नागरिक बनेंगे और आगे आने वाले समय में समाज और देश के विकास में यथासम्भव सक्रिय योगदान देकर मानव जीवन को सफल बनायेंगे।

हमें यह भी विश्वास है कि सभी शिक्षकगण अपनी विवेकशीलता, शैक्षणिक कुशलता को आधार बनाकर वर्तमान समय की आवश्यकतानुसार, नई शिक्षा नीति के सन्दर्भ में ज्ञान-प्रवाह की अविरल धारा को प्रवाहित करने का सर्वोच्च प्रयास करेंगे।

महाविद्यालय : एक संक्षिप्त परिचय

अहीर क्षत्रीय महासभा उत्तर प्रदेश द्वारा 1916 में स्थापित अहीर क्षत्रीय प्राथमिक विद्यालय तथा अहीर क्षत्रीय कॉलेज, शिकोहाबाद के विकास में जनपद फिरोजाबाद की उराबर व भारौल स्टेट तथा एटा के रूपधनी स्टेट के शिक्षा प्रेमी पूर्व जमींदारों की अग्रणी भूमिका रही थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अंचल के निवासियों को शिक्षित करना था। तद्नुसार यह संस्था अपने समर्पित संस्थापकों की भावना के अनुरूप शिक्षा प्रदान करती रही है। शिक्षा के क्षेत्र में शिकोहाबाद की प्रसिद्धि का श्रेय इसी संस्था को प्राप्त है। महाविद्यालय शिकोहाबाद नगर के मुख्य मार्ग स्टेशन रोड तथा निचली गंगा नहर के तट पर अत्यन्त सुरम्य एवं प्राकृतिक सुषमा से पूरित वातावरण में स्थित है। यह महाविद्यालय पढ़ाई के मामले में हमेशा अव्वल रहा है।

सन् 1916 में स्थापित इस संस्था ने 1922 में जूनियर विद्यालय, 1927 में हाईस्कूल, 1942 में इण्टरमीडिएट, 1947 में स्नातक एवं 1983 में स्नातकोत्तर स्तर को प्राप्त किया है। डॉ. बी.आर.ए. विश्वविद्यालय, आगरा से सम्बद्ध इस महाविद्यालय में छह संकाय है। वर्तमान में यह महाविद्यालय शैक्षिक गतिविधियों एवं उच्चस्तरीय विकास उपलब्धियों के कारण शिक्षा जगत में प्रमुख स्थान रखता है।

यह महाविद्यालय कला, वाणिज्य, कृषि, शारीरिक शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा संकायों में सम्बद्ध है। महाविद्यालय में कला संकाय में एम.ए. भूगोल, राजनीतिशास्त्र, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, सैन्य अध्यापन तथा स्नातक स्तर पर अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, संस्कृत, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, सैन्य अध्ययन, शारीरिक शिक्षा एवं दर्शनशास्त्र तथा वाणिज्य संकाय में एम.कॉम. व्यवसाय प्रबन्ध, लेखा एवं विधि तथा व्यवहारिक व्यावसायिक अर्थशास्त्र तथा स्नातक स्तर पर अनिवार्य विषयों के साथ उच्चतर लेखा एवं अंकेक्षण में पठन-पाठन की व्यवस्था है।

शिक्षा संकाय में एम.एड. तथा बी.एड. कक्षाओं की सम्बद्धता प्राप्त है। बी.एड. के आवश्यक प्रश्न-पत्रों के अतिरिक्त यहाँ हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, नागरिकशास्त्र, भूगोल, इतिहास, विज्ञान, जीवविज्ञान, गणित एवं वाणिज्य विषयों में शिक्षण की सुविधा उपलब्ध है। बी.टी.सी. तथा बी.पी.एड. में शिक्षण और प्रशिक्षण की सम्बद्धता तथा सुविधा उपलब्ध है तथा बी.एस.सी. (कृषि) संकाय की कक्षायें जुलाई 2014 से संचालित हैं।

महाविद्यालय में छात्रों के शिक्षण एवं मार्ग-निर्देशन के लिए योग्य, कर्मठ एवं अनुभवी शिक्षक कार्यरत है। महाविद्यालय के स्नातकोत्तर विभागों में उच्चस्तरीय शोध कार्य की व्यवस्था है।

छात्रों के लिए सुव्यवस्थित अध्यापन कक्षों, कम्प्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास रूम, कॉन्फ्रेन्स रूम, खेलकूद के मैदान, जिम, पुस्तकालय, छात्रावास आदि की व्यवस्था है। विगत वर्षों में महाविद्यालय के छात्र-छात्राएँ विश्वविद्यालय एवं प्रदेश स्तर पर शिक्षा एवं क्रीड़ा विषयक अपनी -अपनी योग्यताओं के मापदण्ड स्थापित करते रहे हैं।

महाविद्यालय में शैक्षिक सुविधाओं के अतिरिक्त शिक्षणेत्तर क्रियाएँ निरन्तर चलती रही हैं। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के समग्र एवं समुचित विकास के लिए वाद-विवाद प्रतियोगिताओं, कवि सम्मेलनों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, निबन्ध एवं कविता प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। छात्रों के लेख आदि महाविद्यालय की पत्रिका 'साधना' में प्रत्येक वर्ष छापे जाते हैं। महाविद्यालय में एन.सी.सी., एन.एस.एस. तथा रोवर्स रेंजर्स की समुचित व्यवस्था है। 5 यू.पी.एन.सी.सी. बटालियन शिकोहाबाद कार्यालय (2014 से) कालेज कैम्पस में स्थापित है।

महाविद्यालय के पास लगभग 100 कक्षों का विशाल भवन है। शिक्षण कक्षों के अतिरिक्त विभागीय कक्षों तथा प्रयोगात्मक विषयों के लिए प्रयोगशालाओं की पृथक-पृथक व्यवस्था है। यू.जी.सी. ग्रान्ट से निर्मित आधुनिक उपकरण एवं फर्नीचर युक्त स्मार्ट क्लास रूम, कम्प्यूटर लैब, कॉन्फ्रेन्स हॉल, सेमीनार हॉल, कन्वेन्शन हॉल व महिला कक्ष उपलब्ध हैं।

महाविद्यालय में महिला एवं पुरुष छात्रावास की अलग-अलग सुविधा उपलब्ध है। पानी की सुव्यवस्था हेतु 40000 गैलन क्षमता युक्त ओवरहैड टैन्क है तथा बिजली की निरन्तर आपूर्ति हेतु 10 केवी, 15 केवी तथा 30 केवी क्षमता युक्त किर्लोस्कर जैनसेट उपलब्ध है। अनुशासन व्यवस्था हेतु महाविद्यालय परिसर में सी.सी.टी.वी. कैमरा लगे हुये हैं।

पुस्तकालय में एक वाचनालय की भी व्यवस्था है। जिसमें दैनिक समाचार-पत्रों के साथ-साथ साप्ताहिक, वार्षिक एवं मासिक पत्रिकाएँ उपलब्ध रहती हैं, जिनसे छात्र नवीनतम् जानकारी प्राप्त कर लाभान्वित होते हैं। पुस्तकों की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। पुस्तकालय में 'बुक बैंक योजना' की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसके अन्तर्गत निर्धन वर्ग के छात्रों को पुस्तकों के मूल्य का 10 प्रतिशत जमा करने पर पूरे सत्र के लिए पाठ्य-पुस्तकें प्रदान की जाती हैं। प्राप्त पुस्तकों को विश्वविद्यालय परीक्षा प्रवेश-पत्र प्राप्त करने से पूर्व जमा करना होता है।

विशिष्ट सूचनाएँ

(1) जिन विषयों में शैक्षिक भ्रमण आवश्यक है, उन विषयों के विद्यार्थियों को भ्रमण शुल्क प्रवेश के समय ही जमा करना होगा, जिसका उपयोग केवल शिक्षा कैम्प पर ही होगा।

(2) प्रत्येक वर्ग की प्रथम वर्षीय कक्षाओं में विषय-प्रवेश समिति के निर्देशानुसार दिये जायेंगे, क्योंकि प्रत्येक विषय के स्थान सीमित हैं।

(3) विषय परिवर्तन की अनुमति सामान्यतः नहीं दी जा सकेगी।

(4) यदि आप अनुसूचित जाति से सम्बन्धित हैं तो अपनी जाति का प्रमाण-पत्र मूल रूप से अपने साथ अवश्य लायें ताकि केवल प्रवेश शुल्क जमा कर प्रवेश प्राप्त कर सकें। छात्रवृत्ति के लिए आवश्यक है कि वह लेखा विभाग द्वारा निर्धारित आवेदन-पत्र दो प्रतियों में साफ एवं पूर्णतः भरकर सत्यापित जाति प्रमाण-पत्र, प्रवेश शुल्क की रसीद, उत्तीर्ण परीक्षा की अंकतालिका, चरित्र प्रमाण पत्र तथा पिता/अभिभावक के मूल आय प्रमाण पत्र के साथ ऑन लाइन जमा करें अन्यथा छात्रवृत्ति नही मिल सकेगी। छात्रवृत्ति का भुगतान किसी भी राष्ट्रीय कृत बैंक में खोले गये खाते में शासन द्वारा सीधे भेजा जायेगा। छात्रवृत्ति हेतु उ.प्र. शासन द्वारा सम्बन्धित छात्र की कक्षा में 75% उपस्थिति अनिवार्य की गई है।

(5) बी.एड., एम.एड., बी.टी.सी. तथा बी.पी.एड. के ऐसे प्रवेशार्थी जिन्हें अतिरिक्त अंक (Credit Mark) प्राप्त हुए हैं या किसी विशिष्ट कोटि के अन्तर्गत प्रवेश हुआ है, उसकी पुष्टि हेतु प्रमाण-पत्र प्रवेश के समय ही दिखाना होगा।

(6) विद्यार्थियों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से विभिन्न कम्पनियों/संस्थाओं से सम्पर्क कर कैम्पस सलेक्शन कराये जाते है तथा विशेषयों को बुलाकर व्यवसाय एवं रोजगार परक जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

(7) उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का हमारे अनुभवी शिक्षक निःशुल्क मार्ग दर्शन करते है।

(8) प्रत्येक विद्यार्थी को विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क तथा नवीन छात्रों को नामांकन शुल्क भी आवश्यक रूप से जमा करना होगा।

(9) यदि छात्र सत्र के बीच में अध्ययन छोड़ना चाहता है तो उसके द्वारा जमा प्रवेश एवं परीक्षा शुल्क वापस नहीं होगी।

(10) स्नातक कक्षाओं के छात्र/छात्रायें एन.सी.सी., एन.एस.एस. एवं रौवर्स/रैन्जर्स में से किन्ही दो का चयन कर सकता है।

(11) छात्र-छात्राओं को महाविद्यालय में निर्धारित पोशाक (ड्रेस) में आना आवश्यक है तभी फीस जमा होगी।
छात्रों के लिए-(कला, वाणिज्य, शारीरिक शिक्षा व कृषि) सफेद शर्ट, सादा काली पेण्ट व सादा रेडीमेड नेवी ब्लूबूलन वीयर।
छात्राओं के लिए - सफेद कुर्ता, सफेद पाजामी, नेवी ब्लू दुपट्टा एवं सादा रेडीमेड नेवी ब्लू बूलन वीयर।
छात्राध्यापकों (बी.एड., एम.एड. व बी.टी.सी.) के लिए- सफेद कमीज, नेवी ब्लू पेंट, सफेद मोजे, काले जूते व सादा रेडीमेड नेवी ब्लू बूलन वीयर।
छात्राध्यापिकाओं (बी.एड, एम.एड. एवं बी.टी.सी.) के लिए- नेवी ब्लू बोर्डर युक्त सफेद साड़ी, नेवी ब्लू ब्लाउज, नेवी ब्लू बूलन वीयर

(12) बी.एड., बी.टी.सी. के छात्र स्काउटिंग व गाइडिंग के शिविर के समय निम्नलिखित पोशाक पहनकर आयेंगे-
छात्राध्यापक- सिलेटी कमीज, नेवी ब्लू पेण्ट, सफेद जूते व मोजे एवं सादा रेडीमेड नेवी ब्लू बूलन वीयर।
छात्राध्यापिका - गहरी नीली साड़ी, सफेद ब्लाउज।

(13) महाविद्यालय परिसर में वाहन खड़े करने वाले छात्र वाहन का पंजीकरण करा लें। महाविद्यालय परिसर में वाहन स्टैण्ड के अतिरिक्त अन्य स्थान पर वाहन खड़ा न कर सकेंगे।

(14) बी.एड., एम.एड., बी.टी.सी., बी.पी.एड. एवं बी.एस.सी. (कृषि) में बाहरी जनपदों के प्रवेशार्थियों को महिला एवं पुरूष छात्रावास में कमरा लेना अनिवार्य है।

(15) बी.एड. के छात्र शिक्षण अभ्यास के दौरान सम्बन्धित विद्यालय की समय सारणी के अनुसार अपने को समायोजित करेंगे।

(16) फीस जमा करने के बाद छात्र स्वयं समय-सारिणी के अनुसार न्यूनतम 75% कक्षाओं में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगें।

(17) छात्र प्रवेश के समय परिचय-पत्र बनवा लें। बिना परिचय-पत्र के महाविद्यालय में प्रवेश निषिद्ध है।

(18) नामांकन आवेदन पत्र (Enrolment Form) पर छात्र/छात्रायें के स्पष्ट हस्ताक्षर हिन्दी व अंग्रेजी दोनों में होना अनिवार्य है।

(19) विविधता में एकता, समानता, समावेशन एवं सह अस्तित्व के राष्ट्रीय संकल्प को साकार करने के लिए अनु.जाति, अ.ज.जाति, पिछडी जाति, महिलायें, विकलाँग, अल्पसंख्यक तथा आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अर्हताधारी सभी छात्रों को प्रवेश दिया जाता है, अतः प्राचार्य से सम्पर्क अवश्य करें।

डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय द्वारा लागू एवं महाविद्यालय द्वारा अनुपालित प्रवेश संबन्धी नियम

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत

स्नातक/चार वर्षिय स्नातक/परास्नातक कार्यक्रमों की संरचना

यह सभी व्यवस्थायें सत्र 2026–27 से स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्र/छात्राओं पर ही लागू होगी।

1. त्रिवर्षीय बहुविषयक स्नातक स्तर पर विभिन्न विषयों के न्यूनतम समान पाठ्यक्रम *(Minimum Common syllabubs)* पूर्व में ही उपलब्ध है। वह आगे भी लागू रहेंगे।
   चार वर्षिय स्नातक कोर्स का पाठ्यक्रम
2. स्नातक के तीन वर्ष परास्नातक के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम को जोडकर माना जायेगा।
   नोट– प्रथक से पाठ्यक्रम बनाने की आवश्यकता नही होगी।

मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर विषय के इलेक्टिव पेपर

3. प्रारंभ में विद्यार्थियों का प्रवेश तीन वर्ष की बहुविषयक स्नातक डिग्री हेतु होगा।
4. चौथे वर्ष में विद्यार्थी चार वर्ष की स्नातक (मानद), स्नातक (मानद शोधसहित) एवं स्नातक (अप्रेंटिसशिप एंबेडेड) डिग्री में से किसी एक का चयन कर सकते हैं।
5. विद्यार्थी को प्रवेश के समय बी.ए., बी.एस.सी. और बी. कॉम में से किसी एक पाठ्यक्रम का चयन करना होगा। और उसे पाठ्यक्रम के दो मुख्य *(Major)* विषयों का चयन करना होगा। इसी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी को डिग्री मिलेगी।
6. पाठ्यक्रम के चयनित विषयों का अध्ययन वह तीन/चार वर्ष (प्रथम से छठे /अष्टम सेमेस्टर) तक कर सकता है।
7. चार वर्षीय स्नातक (मानद) एवं स्नातक (मानद शोध सहित) डिग्री के लिए चतुर्थ वर्ष में विद्यार्थी अपने दो मेजर विषयों में से किसी एक विषय (जिसका अध्ययन विद्यार्थी ने अनिवार्य रूप से पूर्व के तीन वर्षों छः सेमेस्टर में किया है) का चयन करेगा तथा सप्तम एवं अष्टम सेमेस्टर में भी इस विषय को पढ़ेगा।
8. त्रिवर्षीय स्नातक के अध्ययन के पश्चात चार वर्षीय डिग्री के लिए विद्यार्थी को उस विषय में परास्नातक में नया प्रवेश लेना होगा, जो विश्वविद्यालय में प्रचलित प्रवेश प्रक्रिया के अनुरूप पर स्नातक की उपलब्ध सीटों पर किया जाएगा।
9. तीन वर्षीय स्नातक के पश्चात विद्यार्थी किसी नए विषय में परास्नातक में प्रवेश ले सकता है, परंतु एक वर्ष की परास्नातक/चतुर्थ वर्ष की पढ़ाई के बाद उसे कोई डिग्री अथवा डिप्लोमा नहीं मिलेगा। परास्नातक के दो वर्ष पूर्ण एवं उत्तीर्ण करने पर ही उसे उसे विषय में परास्नातक की डिग्री मिलेगी।
10. विद्यार्थी द्वारा तीसरे विषय (माइनर विषय) का चयन बहुविषयकता के लिए किसी भी अन्य संकाय से विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय में सीट उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।
11. तीसरे माइनर विषय का कोर्स किसी भी विषय का इलेक्ट्रिक पेपर 6 क्रेडिट का होगा, ना की पूर्ण विषय (इस कोर्स के चुनाव में *Pre-requisite*) का ध्यान रखा जाना आवश्यक नहीं है।)
12. विश्वविद्यालय अपने स्तर पर यह निर्धारित कर सकता है कि कौन सा *Course Minor Subject* के रूप में दिया जा सकता है।
13. विश्वविद्यालय आवश्यकता अनुसार माइनर पेपर स्किल कोर्स के लिए SWAYAM पोर्टल एवं अन्य मान्यता प्राप्त ऑनलाइन संस्थाओ की वेबसाइट पर उपलब्ध कोर्स की सूची बनाकर संस्तुत कर सकता है।
14. उक्त अनुसार सस्तुत कोर्स का अध्ययन विद्यार्थी *SWAYAM* एवं अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं की वेबसाइट से निःशुल्क कर सकता है तथा विश्वविद्यालय इसकी परीक्षा माइनर पेपर के साथ कराएगा।
15. यदि विद्यार्थी उक्त कोर्स को SWAYAM अथवा अन्य मान्यता प्राप्त ऑनलाइन संस्थाओं से परीक्षा देकर उत्तीर्ण करता है, तो वह इसका सर्टिफिकेट अपने महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय में जमा करेगा।
16. *N.C.C.* को शासनादेश संख्या–1815/सत्तर–3–2021–16(26)/2011, दिनांक 09.08.2021 में वर्णित व्यवस्था अनुसार माइनर विषय के क्रेडिट प्रदान किये जा सकते हैं।

कौशल विकास कोर्स *(Vocational/Skill Development Course)*

17. स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (प्रथम तीन सेमेस्टर) के प्रत्येक सेमेस्टर में तीन क्रेडिट का एक कौशल कोर्स (3*X*3–9 क्रेडिट के कुल तीन पाठ्यक्रम) करना अनिवार्य होगा।
18. उक्त कौशल कोर्स पूर्व में निर्गत प्रावधानों के अनुसार संचालित किए जाएंगे।
19. यदि विद्यार्थी *UGC/PMKVY* 4.0/ केंद्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से तीन या उससे अधिक अधिक क्रेडिट का कोई ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन कौशल विकास कोर्स करता है, तो उसे उतने ही क्रेडिट प्रदान किए जाएंगे स्नातक के लिए कुल 9 क्रेडिट अर्जित करना आवश्यक है।
20. विद्यार्थी अधिकतम 9 क्रेडिट (एक साथ अलग–अलग) को कम अथवा अधिक समय में पूरे कर सकते हैं।

सह पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम कोर्स *(Co-curricular Course)*

21. स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्ष (चार सेमेस्टर) के प्रत्येक सेमेस्टर में 2 क्रेडिट का एक सह–पाठचार्य पाठ्यक्रम कोर्स करना अनिवार्य होगा, अर्थात कुल 8 क्रेडिट अर्जित करने होंगे।
22. इन Co-curricular Course की परीक्षा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर के माध्यम से विश्वविद्यालय द्वारा कराई जाएगी।
23. इसमें उत्तीर्ण प्रतिशत वही होगा जो मुख्य व माईनर विषय के पेपर्स में होगा तथा इनमें प्राप्त ग्रेड को सीजीपीए की गणना में सम्मिलित किया जाएगा।

सह–पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम कोर्स *(Co-curricular Course)* के नाम

- प्रथम सेमेस्टर में– प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (*First aid and Basic Health*)
- द्वितीय सेमेस्टर में–मानवीय मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन (Human Values and Environment Studies)
- तृतीय सेमेस्टर में–शारीरिक शिक्षा एवं योग (Physical Education & Yoga) का अध्ययन किया जाएगा जिनके पाठ्यक्रम पूर्ण में संचालित हैं।
- चतुर्थ सेमेस्टर में एक भारतीय अथवा स्थानीय भाषा तथा यूजीसी द्वारा बनाए गए ''सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सम सामुदायिक सहभागिता (Social Responsibility and Communnity Engagement)'' पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से चलाया जाएगा।

Note: – भारतीय भाषा को मुख्य विषय में लेने वाले विद्यार्थी सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे तथा अन्य विद्यार्थी भारतीय स्थानीय भाषा का अध्ययन अथवा सामाजिकउत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता पाठ्यक्रम का चयन करेंगे जिसका पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा स्थानीय भाषा के दृष्टिगत तैयार किया जाएगा।

शोध परियोजना (*Research Project*)

24. स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष (चतुर्थ सेमेस्टर) में विद्यार्थी अपने द्वारा चयनित दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय से संबंधित 3 क्रेडिट की एक शोध परियोजना करेगा।
25. विद्यार्थी स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष के पक्ष की गई शोध परियोजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय में जमा करेगा।
26. स्नातक (मानद शोध सहित) अथवा परास्नातक प्रथम वर्ष के दोनों सेमेस्टर में से विद्यार्थी 4–4 क्रेडिट के दो कोर्स के स्थान पर एक शोध परियोजना ले सकता है।
27. यह शोध परियोजना एक सप्तम एवं एक अष्टम सेमेस्टर के थ्योरी कोर्स के स्थान पर लेनी होगी ना कि किसी एक सेमेस्टर के दो कोर्स के स्थान पर ।
28. चतुर्थ वर्ष में शोध सहित उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को (स्नातक मानद शोध सहित) की उपाधि दी जाएगी।
29. स्नातक चतुर्थ वर्ष में बिना शोध परियोजना उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को स्नातक (मानद) की उपाधि दी जाएगी
30. स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष उच्च्च शिक्षा का पंचम वर्ष में अनिवार्य रूप से एक शोध परियोजना करनी होगी जो की एक नवम एवं दशम सेमेस्टर में 4–4 क्रेडिट की होगी।
31. शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाइजर के निर्देशन में पूर्ण की जाएगी। सुपरवाइजर के रूप में एक अन्य विशेषज्ञ को किसी उद्योग कंपनी तकनीकी संस्थान शोध शिक्षण संस्थान से लिया जा सकता है।
32. यह शोध परियोजना इंटरडिसीप्लिनरी / मल्टीडिसीप्लिनरी भी हो सकती है। यह शोध परियोजना औद्योगिक प्रशिक्षण/इंटर्नशिप /सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।
33. स्नातक (मानक शोध सहित) / स्नातकोत्तर स्तर पर विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में से की गई शोध परियोजना की रिपोर्ट/शोध–प्रबंध अपने विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय में जमा करेगा।
34. सभी स्नातकोत्तर कार्यक्रम शोध परियोजनाओं का मूल्यांकन सुपरवाइजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित बाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 (75 शोध–प्रबंध + 25 शोध–पत्र) अंको में किया जायेगा।
35. विद्यार्थी अपनी इस शोध परियोजना में से पेटेंट प्रशासन अथवा शोध–पत्र अथवा बुक चौप्टर (ISBN) स्नातकोत्तर कार्यक्रम के दौरान प्रकाशित करायेगा।
36. 25 अंक पेटेंट अथवा शोध पत्र अथवा बुक चौप्टर पर ही दिए होंगे।
37. पेटेंट अथवा शोध–पत्र अथवा बुक चौप्टर ना होने पर प्राप्तांक अधिकतम 75 अंक ही देय होंगे पूर्णांक अधिकतम 75 ही होंगे।
38. दो राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार / संगोष्ठी में पेपर प्रजेंट करने पर भी 25 अंक दिए होंगे प्रतिभाग करने पर नहीं।
39. पेटेंट/शोध–पत्र/बुक चौप्टर का प्रकाशन सुपरवाइजर तथा कई विद्यार्थियों द्वारा संयुक्त रूप से भी करने पर मान्य होगा।
40. स्नातक, स्नातक (मानद शोध सहित) स्नातकोत्तर एवं पी.जी.डी. आर. के विद्यार्थियों की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांगों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें CGPA की गणना में भी सम्मिलित किया जाएगा।

क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण

41. क्रेडिट निर्धारण पूर्व की भांति ही रहेगा।
42. क्रेडिट संबंधित कार्य ABC (Academic Bank of Credits) के माध्यम से किए जाएंगे, जिसके दिशा–निर्देश प्रथक से समय–समय पर जारी किए जाते हैं।

ग्रेडिंग प्रणाली

43. FYUGP (20 क्रेडिट) के अनुसार परिवर्तित करते हुए पूर्व की भांति ही रहेगा

सतत आंतरिक एवं विश्वविद्यालय द्वारा मूल्यांकन

44. मुख्य एवं माइनर विषयों के केवल थ्योरी पेपर्स में 25 अंक का सतत आंतरिक मूल्यांकन अनिवार्य होगा।
45. प्रयोगात्मक वोकेशनल / स्किल को–करिकुलर तथा शोध परियोजना के कोर्सेज में CIE नहीं कराया जाएगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा इन कोर्सेस की परीक्षा 100 अंकों के आधार पर होगी।
46. सतत आंतरिक मूल्यांकन (CIE) के लिए किसी भी प्रकार की केंद्रीयकृत महाविद्यालय स्तर पर Mid-Term परीक्षाएं आयोजित नहीं किया की जाएगी। यह एक सतत प्रक्रिया है।
47. सतत आंतरिक मूल्यांकन Project, Quiz, Practical, Student Parliament, Extempore, Seminar, Puzzle, Survey, Screenplay, Exhibition, Role Play, Internal Test, Book Review, Essay, Fair, Visit आदि के द्वारा ही दिया जा सकता है
48. विद्यार्थी के सतत आंतरिक मूल्यांकन के अंक प्रदान करने के लिए पाठ्यतर गतिविधियों (Extra-curricular Activities, Study tour, Sports, Outreach activity, Social Service etc-) का उपयोग भी किया जा सकता है।

पाठ्यक्रम संकाय एवं विषय सूची

49. विद्यार्थी प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के समय सर्वप्रथम पाठ्यक्रम का चयन करेगा यथा बीए बीएससी बीकॉम उसके बाद विद्यार्थी अपने पाठ्यक्रम के अनुसार दो मुख्य विषयों तथा विषय एक एवं विषय दो का चयन करेगा.
50. इस क्रम में विश्वविद्यालय महाविद्यालय विद्यार्थियों द्वारा चयनित तीसरे मानव विषय का आवंटन राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत बहु विषयकता के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए किसी भी अन्य संकाय से विश्वविद्यालय महाविद्यालय में सीट उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।

तालिका–01

महाविद्यालय में B.A. के विषय				
Faculty Wise Subject:				
Faculty of Indian Language	***Faculty of Foreign Language***	***Faculty of Arts, Humanities and Social Sciences***	***Faculty of Performing Arts***	***Faculty of Rural Science***
हिन्दी (Hindi)		शारीरिक शिक्षा Physical Education		
अंग्रेजी (English)		अर्थशास्त्र Economics		
संस्कृत (Sanskrit)		दर्शनशास्त्र Philosophy		
		राजनीति विज्ञान Political Science		
		सैन्य अध्ययन DSST/ Military Science		
		भूगोल Geography		
		समाज शास्त्र Sociology		

नोट– आदर्श कृष्ण महाविद्यालय की समय सारिणी एवं आन्तरिक व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित विषयों को साथ लेने की अनुमति नही होगी।

1. राजनीति शास्त्र के साथ संस्कृत
2. अर्थशास्त्र के साथ दर्शनशास्त्र
3. अंग्रेजी के साथ समाजशास्त्र

तालिका–02

B. Com	
Faculty of Commerce	**Faculty of Vocational Commerce**
Major -1	Foreign Trade
Major – 2	Sales Promotion and Adverting
Major - 3	Principles of Insurance

Uttar Pradesh NEP-2020 UG-PG Course Structure Aligned with FYUGP of UGC

Table -3

(To be in effect from 2026-27 Session)

Cumulative minimum credits Required for Award of Certificate / Diploma/ Degree			Subject -1	Subject -2	Subject -3	Vocational Skill Enhancement courses (SEC) with summer Internship	Co-curricular ability / Enchantment courses (AEC)	Research Project/ Dissertation / Internship/ field or Survey Work	Minimum Credits for the Year
			Major (Core)	Major (Core)	Minor (Multidisciplinary)	Minor	Minor	Major	
			4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	6 Credits	3 Credits	2 Credits	3/4 Credits	
	Year	Semester	Own Faculty	Own/ Other Faculty	Own/ Other Faculty	Vocational Skill Enhancement courses (SEC) with summer Internship	Co-curricular ability / Enchantment courses (AEC)	Inter / Intra Faculty related to main subjects	
(40) Certificate in Faculty	1	I	Th-1(6) or Th-1(4) +Prct. -1(2)	Th-1(6) or Th-1(4) +Prct. -1(2)	1(6)	1(3)	1(2)		40
		II	Th-1(6) or Th-1(4) +Prct. -1(2)	Th-1(6) or Th-1(4) +Prct. -1(2)		1(3)	1(2)		
(40 + 40 =80) Diploma in Faculty	2	III	Th-1(6) or Th-1(4) +Prct. -1(2)	Th-1(6) or Th-1(4) +Prct. -1(2)	1(6)	1(3)	1(2)		40
		IV	Th-1(6) or Th-1(4) +Prct. -1(2)	Th-1(6) or Th-1(4) +Prct. -1(2)			1(2)	1(3) Point 7.1	
(80+40 =120) 3-Year U.G. Degree	3	V	Th-2(5) or Th-2(4) +Prct. -1(2)	Th-2(5) or Th-2(4) +Prct. -1(2)					40
		VI	Th-2(5) or Th-2(4) +Prct. -1(2)	Th-2(5) or Th-2(4) +Prct. -1(2)					
FOURTH YEAR									
Apprentices / Internship embedded UG Degree Programme	4	12 Months Apprenticeship/ Internshhip through NATs or from Equivalent Organizations / Industry/ Institute				1(40) 1200 Hours			40
OR									
(120 +40 =160) Four Year UG Degree (Honors)	4	VII	Th-5(4) or Th- 4(4) + Pract.-1(4)						40
		VIII	Th-5(4) or Th- 4(4) + Pract.-1(4)						
OR									
(120+40=160) Four Year UG Degree (Honors with Research)	4	VII	Th-4(4) or Th-3(4) +Pract.-1(4)		Students Who secure 75% or More Marks in the First 6 Semesters			1(4)	40
		VIII	Th - 4(4) or Th - 3(4) + Pract. - 1(4)					1(4)	

Uttar Pradesh NEP-2020 UG-PG Course Structure Aligned with FYUGP of UGC

Table -4

(To be in effect from 2026-27 Session)

Cumulative minimum credits Required for Award of Certificate / Diploma/ Degree	Year	Semester	Subject-1	Subject-2	Subject-3	Vocational Skill Enhancement courses (SEC) with summer Internship	Co-curricular ability / Enchantment courses (AEC)	Research Project/ Dissertation / Internship/ field or Survey Work	Minimum Credits for the Year
			Major (Core)	Major (Core)	Minor (Multidisciplinary)	Minor	Minor	Major	
			4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	6 Credits	3 Credits	2 Credits	3/4 Credits	
			Own Faculty	Own/ Other Faculty	Own/ Other Faculty	Vocational Skill Enhancement courses (SEC) with summer Internship	Co-curricular ability / Enchantment courses (AEC)	Inter / Intra Faculty related to main subjects	
(200) Master in Faculty	5	IX	Th-4(4) or Th-3(4) +Prct. -1(4)					1(4)	40
		X	Th-4(4) or Th-3(4) +Prct. -1(4)					1(4)	
(216) PGDR in Subject	6	XI	Th – 4 (2)	1(4) Research Methodology				1(4)	16
Ph.D in Subject	6, 7, 8		XII-XIV					Ph.D. Thesis	

Uttar Pradesh NEP-2020 UG-PG Course Structure Aligned with FYUGP of UGC

Table -5

(To be in effect from 2026-27Session)

Cumulative minimum credits Required for Award of Certificate / Diploma/ Degree	Year	Semester	Subject-1	Subject-2	Subject-3	Vocational Skill Enhancement courses (SEC) with summer Internship	Co-curricular ability / Enchantment courses (AEC)	Research Project/ Dissertation / Internship/ field or Survey Work	Minimum Credits for the Year
			Major (Core)	Major (Core)	Minor (Multidisciplinary)	Minor	Minor	Major	
			4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	6 Credits	3 Credits	2 Credits	3/4 Credits	
			Faculty	Faculty	Other Faculty	Vocational Skill Enhancement courses (SEC) with summer Internship	Co-curricular ability / Enchantment courses (AEC)	Inter / Intra Faculty related to main subjects	
(40) Certificate in Faculty	1	I	Th-3(4) or Th-2(4) +Prct. -1(4)		1(6)	1(3)	1(2)	1(2)	40
		II	Th-3(4) or Th-2(4) +Prct. -1(4)			1(3)	1(2)	1(2)	
(40+40=80) Duploma in Faculty	2	III	Th-3(4) or Th-2(4) +Prct. -1(4)		1(6)	1(3)	1(2)		40
		IV	Th-3(4) or Th-2(4) +Prct. -1(4)				1(2)	1(3) Point 7.1	
(80+40=120) 3-Year Single Subject Plain UG Degree	3	V	Th-4(4) or Th-3(4) +Prct. -1(4)					1(4)	40
		VI	Th-4(4) or Th-3(4) +Prct. -1(4)					1(4)	
OR									
80+50=130 3-Year single Subject Honors UG Degree	3	V	Th-4(5) or Th-4(4) + Prct. -1(4)					1(5)	50
		VI	Th-4(5) or Th-4(4) + Prct. -1(4)					1(5)	

Note : Single subject 3 years UG programme examples: BBA, BCA, BSc(Chemistry), BSc (Biotechnology), BA (Economics) etc...... After both the above programmes (3-year Single Subject Plain or Honours UG Degree) one has to pursue 4th / 5th year of UG/PG programmes as given in Table 1, in the same manner as the one who completes 3 years UG degree of Table 1.

बी.कॉम. की कक्षाओं के लिए विषयों का चयन

Year wise Subject of Faculty of COMMERCE UG (B.Com.)

Year	SEMESTER	OWN FACULTY					Other Faulty Subject (Minor)	Co-Corriucular Course Compulsory by University	Vocational Course/ Projcet Compulsory by College
		Major 1	Major 2	Major 3	Major 4	Practical/Viva			
I	I	Business Organisation	Business Statesties	Business Lommuni-Latium	-	-	Econimics	Food, Nutrition and Hygiene	Celifacte in Yoga
	II	Business Management	Financial Accounting	Business Wconomics		Computerized Accounting	-	First Aid And Health	Goods And Service Tax (GST)
II	III	Company Low	Lost Accounting	Inventory Manage ment	-	-	Econimics	Human values and environmental Studies	Retail Management
	IV	Income Tax Law & Acount	Fundamental of markeiting	Fundamental of Entropure usship	-	Digital Marketing	-	Physical Education and Yoga	Not Decided Yet
III	V	Corporate Accounting	Goods & Service Tax	Business Finace	Monetry thedry and banking India	-	-	Analytic ability and digital transformation	Treuting Bussery
	VI	Accounting for Maragcos	Auditing	Finacial Institsuor And Market	-	Viva	-	Communication skills and personality development	Project

B.Sc. (Ag.)

I Semester		
Fundamentals of Agronomy	3	AG-101
Fundamentals of Genetics	3	AG-102
Fundamentals of Soil Science	3	AG-103
Fundamentals of Horticulture	2	AG-104
Rural Sociology & Educational Psychology	2	AG-105
Introduction to Forestry	2	AG-106
Introductory Animal Husbandry	3	AG-107
Comprehension & Communication Skills in English	2	AG-108
Agricultural Heritage	1	AG-109
Introductory Biology/Basic Agriculture- I	2	AG-110A /AG-110B
Elementary Mathematics/Basic Agriculture-II	2	AG-111A /AG-111B
NSS/NCC/Physical Education & Yoga Practices	2	AG-112A /AG-112B/AG-112C

II Semester		
Fundamental of Crop Physiology	3	AG-201
Fundamentals of Plant Biochemistry	3	AG-202
Fundamental of Entomology-I	3	AG-203
Fundamental of Agricultural Economics	2	AG-204
Principles of Organic Fanning	2	AG-205
Fundamentals of Plant Pathology	4	AG-206
Production Technology for Vegetables and Spices	2	AG-207
Fundamentals of Agricultural Extension Education	3	AG-208
Food Processing and Safety Issues	3	AG-209
Human Values & Ethics	1	AG-210

III Semester		
Crop Production Technology – 1 (Kharif crops)		
Practical Crop Production – 1 (Kharif crops)		
Fundamentals of Plant Breeding		
Agricultural Microbiology		
Agricultural Finance and Co-Operation		
Farm Machinery and Power		
Principles of Integrated Disease Management		
Statistical Methods		
Fundamental of Soil and Water Conservation		
Dairy Science		
Fundamentals of Entomology-II		

I V Semester		
Crop Production Technology –II (Rabi crops)		
Practical Crop Production-II (Rabi crops)		
Principles of Seed Technology		
Problematic Soils and their Management		
Renewable Energy and Green Technology		
Production Technology for Ornamental Crops, MAP and Landscaping		
Entrepreneurship Development and Business Communication		
Introductory Agro-meteorology & Climate Change		
Agri-Informatics		
Poultry Production & Management		

V Semester		
Rainfed and dryland Agriculture		
Crop Improvement-1 (Kharif crops)		
Pests of Crops and Stored Grain and their Management		
Agricultural Marketing Trade & Prices		
Protected Cultivation and Secondary Agriculture		
Diseases of Field and Horticultural Crops and their Management-I		
Production Technology for Fruit and Plantation Crops		
Communication Skills and Personality Development		
Intellectual Property Rights		
Principles of Food Science & Nutrition		
Geo-informatics and Nanotechnology		
Electice- 1 (AGE-51/AGE-52/AGE-53/AGE-54/AGE-55/AGE-56)		

VI Semester		
Farming System, Precision Farming & Sustainable Agriculture		
Crop Improvement-II (Rabi crops)		
Manures, Fertilizers and Soil Fertility Management		
Farm Management, Production & Resource Economics		
Diseases of Field and Horticultural Crops and their Management-II		
Post-harvest Management and Value Addition of Fruits and Vegetables		
Watershed and Wasteland Management		
Beneficial insects and Pest of Horticultural Crops and their Management		
Elective-2(AGE-61/AGE-62/AGE-63/AGE-64/AGE-65/AGE-66)		
Educational Tour		

Elective Courses : A student can select two elective courses out of the following and offer during 5th and 6th semesters.

S. N.	Courses	Credit Hours	
1	Agribusiness Management		
2	Agrochemicals		
3	Commercial Plant Breeding		
4	Landscaping		
5	Food Safety and Standards		
6	Biopesticides & Biofertilizers		
7	Protected Cultivation		
8	Hi-tech. Horticulture		
9	Weed Management		
10	System Simulation and Agro-advisory		
11	Agricultural Journalism		
12	Composition cum Duck/(and) Quail/ (and) Rabbit Culture		

VII Semester

S. N.	Rural Agricultural Work Experience and Agro-industrial Attachment (RAWE & AIA)		
	Activities	**No. of weeks**	**Credit Hours**
1	General orientation & O campus training by different faculties		
2	Village attachment		
	Unit attachment in Univ./College. KVK/Research Station Attachment		
3	Plant clinic		
4	Agro-Industrial Attachment		
	Project Report Preparation, Presentation and Evaluation		
Total weeks for RAWE & AIA			

VIII Semester

Modules for Skill Development and Entrepreneurship: A student has to register 20 credits opting for two modules of (0+10) credits each (total 20 credits) from the package of modules in the VIII sem.

Sr. No.	Title of the module	Credits
1	Production Technology for Bioagents and Biofertilizer	
2	Seed Production and Technology	
3	Mushroom Cultivation Technology	
4	Soil, Plant, Water and Seed Testing	
5	Commercial Beekeeping	
6	Poultry Production Technology	
7	Commercial Horticulture	
8	Floriculture and Landscaping	
9	Food Processing	
10	Agriculture Waste Management	
11	Organic Production Technology	
12	Commercial Sericulture	

बी.पी.एड. विभाग एवं लॉन

बी.एड. विभाग एवं लॉन

बी. टी.सी. विभाग एवं लॉन

इन्टरनेट ऑनलाइन ऑफिस

कालेज वाहन स्टैन्ड

विद्यार्थी सहायता कोष तथा छात्रवृत्तियाँ

(क) विद्यार्थी सहायता कोष

निर्धन छात्रों की सहायता के लिए विद्यार्थी सहायता कोष की स्थापना की गई है। इस कोष से विद्यार्थियों को निम्नांकित नियमों के अनुसार सहायता मिल सकती है-

(1) निर्धन छात्र/छात्राओं की पुस्तकें, वस्त्रों, औषधियों, फीस की कमी आदि के लिए की जायेगी।

(2) सहायता देते समय विगत वर्ष की परीक्षा परिणामों को भी ध्यान में रखा जायेगा।

(3) परिगणित और अनुसूचित जातियों के छात्र इस योजना के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

(4) ऐसे विद्यार्थी जो इस वर्ष महाविद्यालय या सरकार से किसी भी प्रकार की सहायता ले चुके हैं, उन्हें सामान्यतः कोई सहायता नहीं दी जायेगी। भ्रामक सूचना के आधार पर स्वीकृत सहायता तत्काल निरस्त की जा सकती है। विद्यार्थी का उचित पात्र होना आवश्यक है।

(5) अनुशासनहीन विद्यार्थी को सहायता उपलब्ध न हो सकेगी।

(6) सहायता कोष में से दी जाने वाली सहायता राशि अधिकतम छः माह की ट्यूशन फीस के बराबर होगी।

(ख) छात्रवृत्तियाँ

छात्रवृत्ति आवेदन-पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि उ.प्र. शासन के अनुसार होगी।

(1)भारत सरकार द्वारा प्रदत्त

(I) अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति

(II) परिगणित जाति छात्रवृत्ति (केवल प्रथम श्रेणी अथवा उत्कृष्ट द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण, छात्रों के लिए)

(III) विकलांग छात्रवृत्ति (केवल डॉक्टरी प्रमाण-पत्र के आधार पर)

(2) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त

(1) ऋण छात्रवृत्ति (50 प्रतिशत से अधिक अंक पाने वाले छात्रों के लिए)

(2) योग्यता छात्रवृत्ति (विश्वविद्यालय योग्यता क्रम के आधार पर शिक्षा निदेशक द्वारा निर्णीत)।

(3) राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति (केवल अध्यापकों की सन्तान के लिए शिक्षा निदेशक द्वारा निर्णीत।

(4) स्वतंत्रता सेनानी छात्रवृत्ति (कारावास सम्बन्धित प्रमाण-पत्र के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त।

(6) सेना छात्रवृत्ति (सैनिकों की सन्तान के लिए सैनिक निदेशालय द्वारा प्रदत्त)

(7) उत्तर प्रदेश युद्धोपरान्त सेवा छात्रवृत्ति (सैनिकों की सन्तान के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त)।

विद्यार्थियों द्वारा ध्यान देने तथा पालन करने हेतु विशेष नियम

(क) आचार संहिता

(1) छात्र–छात्राओं को कक्षाओं में समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।

(2) महाविद्यालय में छात्र स्वयं को शान्त एवं अनुशासित रखें।

(3) साइकिल स्टैण्ड पर ही वाहन खड़ा करें, कॉलेज के मुख्य द्वार पर अथवा कॉलेज परिसर में अन्यत्र नहीं।

(4) छात्र–छात्राओं की वेश–भूषा स्वच्छ एवं विशिष्ट सूचनाओं के बिन्दु 11 के अनुसार होनी चाहिए।

(5) धूमपान अथवा अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन करना पूर्णतः वर्जित है।

(6) सूचना पट पर ही छात्र सम्बन्धी सूचनाएँ प्रदर्शित की जायेंगी, उनको पढ़ें।

(7) किसी भी दशा में कॉलेज की व्यवस्था भंग न की जाये, कॉलेज की किसी भी सम्पत्ति को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाये।

(8) छात्र किसी को हड़ताल के लिए प्रेरित नहीं करेंगे और न स्वयं ही हड़ताल में भाग लेंगे।

(9) छात्र कालेज में कोई हैण्डबिल, पेम्लेट आदि न तो वितरित करेंगे और न किसी कार्य हेतु चन्दा एकत्रित कर सकेंगे।

(10) छात्र किसी जाति, धर्म, प्रान्त, राजनीतिक दल आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। वे मानवता और मानव–प्रेम के आधार पर ही व्यवहार करेंगें जो राष्ट्रीय एकता के लिए समर्पित रहेंगे।

(11) महाविद्यालय परिसर का कोई भी छात्र पोस्टर चिपकाने तथा लिखने के लिए प्रयोग नहीं कर सकेंगे।

(12) छात्र अपना परिचय–पत्र महाविद्यालय तथा महाविद्यालय के बाहर हर समय अपने साथ रखेंगे तथा किसी अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर उसे प्रस्तुत करेंगे।

(13) खोई हुई वस्तु पाने पर उसे अपने विवरण के साथ तुरन्त कार्यालय प्रभारी के पास जमा कर देंगे।

(14) स्वतन्त्रता दिवस, गणतन्त्र दिवस, युवोत्सव, गाँधी जयन्ती, सुभाष जयन्ती, आतंकवाद विरोधी दिवस पर आयोजित समारोहों में अनिवार्य रूप से छात्र/छात्रायें भाग लेगें।

(ख) चरित्र प्रमाण–पत्र

(1) चरित्र सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्राप्त करने का अधिकारी केवल वह छात्र है जो महाविद्यालय में न्यूनतम छः माह की अध्ययन अवधि पूर्ण कर चुका है।

(2) छः मास में केवल एक बार ही कोई छात्र चरित्र प्रमाण–पत्र ले सकता है।

(3) नियमतः चरित्र प्रमाण–पत्र अन्तिम बार कालेज छोड़ने के समय टी.सी. के साथ दिया जाता है अतः वाद में नहीं दिया जायेगा ।

(ग) कार्यालय नियम

छात्र/छात्राओं को सामान्यतः प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक कार्य दिवस में कार्यालय सहायक से निर्धारित काउन्टरों से ही सम्पर्क करने की अनुमति है। इसके पश्चात् अनुमति लेकर ही मिलें।

(घ) अनुशासन

महाविद्यालय में अनुशासन का कार्य प्राचार्य की देखरेख में प्रॉक्टोरियल बोर्ड द्वारा होता है। महाविद्यालय के अनुशासन नियमों का पालन प्रत्येक छात्र का कर्तव्य है। समिति द्वारा छात्रों को विद्यालय के अतिरिक्त छात्रावास, खेल के मैदान, पुस्तकालय एवं प्रशासनिक भवन तथा शहर में किये गये आचरण पर भी निर्णय और निर्देश दिये जाते हैं।

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 25.04.2026 द्वारा अनुमोदित प्रवेश नियमावली सत्र 2026-27

यह नियम विश्वविद्यालय अधिनियम परिनियम तथा अध्यादेशों के अधीन ही मान्य होगे तथा आवासीय संस्थानों एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, गृह विज्ञान, प्रबन्धन, लाइफ सांईसेज, इंजीनियरिंग, विधि संकायों, शिक्षा एवं ललितकला की कक्षाओं में प्रवेश के लिए लागू होगें। प्रवेश उन्हीं पाठ्यक्रमों/विषयों में दिया जायेगा जिसकी सम्बद्धता विश्वविद्यालय से प्राप्त है और उनका प्राविधान विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में विद्यमान तथा विश्वविद्यालय से प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर ली गयी है।

आवश्यक निर्देश

1. व्यवसायिक पाठ्यक्रमों यथा बीएससी (एग्रीकल्चर), एमएससी (एग्रीकल्चर), एलएलबी, बीएएलएलबी, एलएलएम, एमएड. बीपीएड, एमएसडब्लू एवं इसके अतिरिक्त जिन पाठ्यक्रमों में आवेदन सीटों से दोगुने अधिक प्राप्त होगें, वहाँ पर प्रवेश, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भी किये जा सकते है।

2. (अ)(i) बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम एवं एमएससी में प्रवेश महाविद्यालय अपने स्तर से लेगा। परन्तु सभी प्रवेश विश्वविद्यालय के **Samarth Admission Portal** के माध्यम से ही किये जायेंगे एवं स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश **Four Year Under Graduate Programme (FYUGP)** के अनुरूप होगें। (जिसका अध्यादेश संलग्न है। संलग्नक-1) तथा बी.बी.ए., बी.सी.ए. एवं अन्य एकल विषय वाले पाठ्यक्रमों में भी प्रवेश हेतु यही प्रक्रिया लागू की जा सकती है।

(ii) प्रारम्भ में विद्यार्थी का प्रवेश तीन वर्ष की स्नातक डिग्री हेतु होगा। चौथे वर्ष में विद्यार्थी चार वर्ष की स्नातक (मानद), स्नातक (मानद शोध सहित) एवं स्नातक (एप्रेन्टिससिप एम्बेडिड) डिग्री में से किसी एक का चयन कर सकते है।

(iii) विद्यार्थी को प्रवेश के समय बी.ए., बी.एस.सी., बी.कॉम. आदि में से किसी एक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम का चयन करना होगा और उसे उस पाठ्यक्रम के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चयन करना होगा। इसी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी को डिग्री मिलेगी। पाठ्यक्रम के चयनित विषयों का अध्ययन यह तीन/चार वर्ष (प्रथम से छठे/अष्ट्म सेमेस्टर) तक कर सकता है।

(iv) स्नातक/परास्नातक स्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थियों की योग्यता गणना एवं शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित आवासीय संस्थान / सम्बद्ध महाविद्यालय स्तर पर किया जायेगा।

(v) सत्र 2026-27 से बी.ए.एल.एल.बी., एल.एल.वी., एल.एल.एम. तथा बी.एड. पाठ्यक्रमों में प्रवेश सेमेस्टर प्रणाली में होगा।

(ब) प्रवेश प्रकिया में समर्थ रजिस्ट्रेशन के समय प्रत्येक विद्यार्थी का **S.R.N.** नम्बर तथा **APPAR** आई.डी. होना आवश्यक है।

3. ऐसे पाठ्यकन जिनकी अनापत्ति /सम्बद्धता विभिन्न **Regulatory Bodies** द्वारा जारी की जाती है, उनमें प्रवेश उनकी गाइडलाइंस के अनुसार किया जायेगा।

4. अभ्यर्थी केवल एक बार ही समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेगा एवं शुल्क भी एक बार ही जमा होगा। उसी रजिस्ट्रेशन से अभ्यर्थी एक या एक से अधिक **Programme** का चयन कर सकता है। प्रत्येक प्रोग्राम को चयन करने पर उसको प्रोग्राम का **(SRN Samarth Registration Number)** प्राप्त होगा। **Samarth Registration Number** शुल्क स्नातक स्तर के एवं अन्य पाठ्यकमों (जिनकी अर्हता 12वीं कक्षा उत्तीर्ण है) हेतु रु0 400/- तथा परास्नातक एवं अन्य पाठ्यकम (स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त किये जाने वाले पाठ्यकम जैसे एल-एल.बी., बी.पी.एड.. बी.एड., एम एड., एल.एल.एम., आदि) के लिए रु. 500/- होगा।

(२) छात्र द्वारा महाविद्यालय में **Reporting** के समय सभी **Documents** की स्व-प्रमाणित प्रतियों मूल प्रति से सत्यापित लेकर महाविद्यालय में जमा करनी होगी।

(3) सत्र 2026-27 में विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश **Samarth Admission Portal** (समर्थ प्रवेश पोर्टल) के माध्यम से किये जायेंगे, इस सरल प्रणाली के अर्न्तगत अभ्यर्थी सात चरणों कमश:

(1) समर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर (2) समर्थ आई.डी. से लॉगिन (3) प्रोफाइल (4) अन्य विवरण / निजी जानकारी (5) फोटो व हस्ताक्षर (6) पाठ्यकम/महाविद्यालय / संस्थान व विषय का चयन/भुगतान करना/फार्म प्रिंट **Online** माध्यम से पूर्ण करके सातवें चरण में जिस आवासीय संस्थान महाविद्यालय को चुनना चाहता है, वह वहाँ प्रवेश के लिए रिपोर्ट करेगा। इस्त ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थी अपनी अर्हतानुसार कितने भी पाठ्यक्रमों का चयन कर सकता है। छात्र आवासीय संस्थान / सम्बद्ध महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया के लिए स्वतंत्र है, जिसके लिए उसे केवल एक बार ही समर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर कराना अनिवार्य है। संस्थान / महाविद्यालय केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश दे सकेगें जो **Samarth Admission Portal** की निर्धारित प्रक्रिया को पूर्ण करेगें। इस सम्बन्ध में आवासीय संस्थान / सम्बद्ध महाविद्यालयों को जारी दिशा-निर्देश विश्वविद्यालय की बेवसाइट पर उपलब्ध है।

5. आवासीय संस्थान / सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा प्रवेश प्रक्रिया पूर्व की भाँति योग्यता सूची के अनुसार पूर्ण की जायेगी। यथा अभ्यर्थी की रिर्पोटिंग **OTP** द्वारा **Admit** प्रकिया को पूर्ण किया जायेगा। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद प्रत्येक आवासीय संस्थान / सम्बद्ध महाविद्यालय Samarth की **admin Login Id** पर जाकर अभ्यर्थी की सीट **Confirm** भी करेंगे।

6. आवासीय संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालय को प्रवेश प्रक्रिया के Step अलग से प्रदान किये जायेगे। (संलग्नक-2)

सामान्य निर्देश

1. (अ) (i) प्रत्येक महाविद्यालय अपनी Online/Offline विवरण पुस्तिका "Prospectus" तैयार करायेगा, जिसमे निर्धारित शुल्कों तथा महाविद्यालय सम्बन्धी आवश्यक सूचनाओं का विवरण होगा। सभी कक्षाओं के लिए एक ही विवरण पुस्तिका होगी। सभी पाठ्यक्रम इस पुस्तिका में सम्मिलित किये जायेगें। विवरण पुस्तिका का अधिकतम मूल्य रु. 400/- होगा।

(ii) महाविद्यालयों द्वारा रजिस्ट्रेशन शुल्क रू0 10/- के स्थान पर रू0 25/- लिये जाने की संस्तुति की गयी।

(ब) विवरण पुस्तिका में सत्र 2026-2027 के लिए प्रत्येक कक्षा में निर्धारित सामान्य व आरक्षित सीटों का विवरण प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कक्षा में शासनादेश के अनुसार 21 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों, 27 प्रतिशत स्थान पिछड़ी जातियों तथा 3 प्रतिशत स्थान दिव्यांगजन के लिए (छात्र के स्वंय से सम्बन्धित वर्ग (कैटेगरी) तथा- श्रवण बाधित, चलन बाधित एवं दृष्टिबाधित के अंतर्गत ही) तथा EWS हेतु स्वीकृति सीटों के आपेक्ष अतिरिक्त रूप से 10 प्रतिशत सीट आरक्षित रहेगी। दिव्यांगजन के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा। महिला अभ्यर्थियों के लिये प्रत्येक वर्ग में 20 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेंगें। यदि कश्मीरी छात्रा है तो उसे प्राथमिकता दी जायेगी।

(स) प्रत्येक महाविद्यालय को अपने महाविद्यालय की वेवसाइट तैयार करना अनिवार्य होगा जिस पर इच्छुक अभ्यर्थियों को विवरण पुस्तिका उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। विवरण पुस्तिका में विश्वविद्यालय की वेवसाइट तथा महाविद्यालय की वेवसाइट का उल्लेख करना आवश्यक होगा। प्रवेश प्रक्रिया हेतु प्रत्येक महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह एक कम्प्यूटर आपरेटर को इस कार्य के लिए अधिकृत करें तथा उसका नाम एवं नम्बर विश्वविद्यालय को प्रेषित करें। इसके अतिरिक्त महाविद्यालयों में इण्टरनेट एवं कम्प्यूटर की व्यवस्था आवश्यक है तथा विश्वविद्यालय को प्रेषित करें। इसके अतिरिक्त महाविद्यालयों में इण्टरनेट एवं कम्प्यूटर की व्यवस्था आवश्यक है तथा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में एक एडमिशन सेंटर होगा। जहाँ से बच्चे को प्रोग्राम पाठ्यक्रम, प्रवेश प्रक्रिया आदि की जानकारी प्रदान की जायेगी तथा फॉर्म भरने में भी उनकी मदद की जायेगी।

(द) यदि कोई विद्यार्थी किसी महाविद्यालय में प्रथम वरीयता में प्रवेश पा जाता है, प्रवेशोपंरात यदि किसी दूसरे महाविद्यालय में प्रवेश पा जाता है और उस महाविद्यालय में प्रवेश लेने का इच्छुक है, तो ऐसी स्थिति में छात्र के द्वारा पूर्व में लिये गये प्रवेश को प्रार्थना पत्र देकर 15 दिवस में रदद् करना होगा तथा महाविद्यालय द्वारा उसे केवल 90 प्रतिशत शुल्क ही वापिस किया जायेगा। यदि कोई विद्यार्थी 01 माह के अंतराल में किसी महाविद्यालय से अपना प्रवेश रदद् कराता है तो उसे केवल 75 प्रतिशत शुल्क महाविद्यालय द्वारा वापिस किया जायेगा।

2. (अ) सत्र 2026-27 के लिए सभी संकायों में प्रथम वर्ष/सेमिस्टर में ही प्रवेश दिये जायेगें तथा रू0 300/- नामांकन शुल्क व रू0 300/- उपाधि शुल्क भी छात्र द्वारा देय होगा। इसके अतिरिक्त प्रवेश के समय रू0 50/- सांस्कृतिक शुल्क, रू0 100/- क्रीड़ा शुल्क व रू0 100/- Incubation सुविधा/ ICT सुविधा शुल्क भी प्रथम वर्ष में छात्र द्वारा देय होगा। जो कि विश्वविद्यालय को महाविद्यालय द्वारा दिया जायेगा। उसी अनुपात में महाविद्यालय अपने उपयोग हेतु इन शुल्कों को प्रवेश शुल्क के साथ लेगें। नामांकन शुल्क एवं उपाधि शुल्क को छोड़कर अन्य शुल्क महाविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष लिये जायेगें।

(ब) एलएलएम पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु विधि स्नातक सामान्य श्रेणी एवम् अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों द्वारा 55 प्रतिशत अंकों एवम् अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों द्वारा 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।

<u>नोटः- सांस्कृतिक शुल्क, क्रीड़ा शुल्क तथा Incubation सुविधा/ICT सुविधा शुल्क प्रतिवर्ष देय होगा। महाविद्यालय में Incubation सुविधा/ICT सुविधा शुल्क का एकाउंट प्राचार्य द्वारा संचालित किया जाना समीचीन होगा।</u>

(स) यदि कोई भी अभ्यर्थी स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम (FYUP के अन्तर्गत) में प्रवेश लेने के प्रथम वर्ष बाद या द्वितीय वर्ष बाद पाठ्यक्रम को छोड़ता है तो उसको एन0ई0पी0-2020 के अनुरूप सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्रदान किया जायेगा। इसके उपरांत यदि वह अभ्यर्थी पुनः अपने पाठ्यक्रम को उपाधि हेतु पूर्ण करना चाहता है तो उसको पुनः SRN (Samarth Registration Number) प्राप्त करना होगा एवं पुनः प्रवेश के समय उपाधि के लिए रू0 300/- का शुल्क जमा करना होगा। यदि वह अभ्यर्थी डिप्लोमा या सटिर्फिकेट लेने के बाद किसी अन्य विश्वविद्यालय से किसी अन्य पाठ्यक्रम को करने के बाद पुनः अपनी उपाधि को पूर्ण करना चाहता है तो उसको विश्वविद्यालय से पुनः SRN (Samarth Registration Number) प्राप्त करना होगा एवं इसको पुनः नामांकरन शुल्क व अन्य शुल्क प्रवेश के समय जमा करने होगें।

(द) (i) बीएएलएलबी पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु किसी भी वर्ग में 10+2 (इण्टरमीडिएट) सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए 45 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग 442 प्रतिशत एवम् अनुसूचित जाति के छात्रों द्वारा 40 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।

(ii) यदि किसी छात्र द्वारा हाईस्कूल के पश्चात् 03 वर्ष का प्रोद्योगिकी में डिप्लोमा अथवा इसके समतुल्य कोई और डिप्लोमा किया गया हो, जिसे इण्टरमीडिएट के समकक्ष माना जाये। ऐसे छात्रों को बीएएलएलबी में न्यूनतम अर्हता के समतुल्य माना जायेगा।

(iii) एलएलबी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु किसी भी वर्ग में स्नातक सामान्य श्रेणी के छात्रों द्वारा 45 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग 42 प्रतिशत एवम् अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों द्वारा 40 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।

(य) बी0पी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु छात्र द्वारा किसी भी वर्ग में स्नातक 45 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण किया गया हो तथा राज्य स्तरीय खेलकूद प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो अथवा बीपीईएस 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।

(र) एम0ए0 में प्रवेश हेतु छात्रों द्वारा किसी भी विषय के साथ स्नातक 45 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण किया गया हो, प्रयोगात्मक विषय की स्थिति में प्रैक्टिकल एवं थ्योरी में पृथक-पृथक रूप से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। परास्नातक स्तर के प्रयोगात्मक विषय में प्रवेश हेतु छात्र अथवा छात्रा द्वारा स्नातक स्तर पर वह विषय अन्य विषयों के साथ एक विषय के रूप में पढ़ा गया होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

प्रेक्टिकल एवं थ्योरी में पृथक-पृथक रूप से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। परास्नातक स्तर के प्रयोगात्मक विषय में प्रवेश हेतु छात्र अथवा छात्रा द्वारा स्नातक स्तर पर वह विषय अन्य विषयों के साथ एक विषय के रूप में पढ़ा गया होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

(ल) एम0एससी0 में प्रवेश हेतु बी0एससी0 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो तथा Practical एवं Theory में पृथक-पृथक रूप से उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 5% की छूट अनुमन्य होगी।

(व) एम0एससी0 (कम्प्यूटर साइंस) में प्रवेश हेतु निम्न विषयों के साथ स्नातक किया जाना अनिवार्य होगा।

PCM/Statistics/Computer Science/I.T./B.E./B.Tech. & BCA

उपरोक्त विषयों में स्नातक सामान्य एवम् अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों द्वारा 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए 5% अंकों की छूट मान्य होगी।

(श) एमएससी (एग्रीकल्चर) ऐसे छात्र/छात्रायें जिन्होंने बीएससी (एग्रीकल्चर) में ऑनर्स किया है, वह एमएसी (एग्रीकल्चर) के किसी भी विषय में प्रवेश के लिए अर्ह होगें, परन्तु जिन छात्रों द्वारा बीएससी (एग्रीकल्चर) किसी विशेष विषय के साथ किया गया हो, वे छात्र उसी विषय के लिए एम0एस0सी0 (एग्रीकल्चर) में अवेदन हेतु अर्ह होगें।

उपरोक्त परिस्थितियों में छात्रों द्वारा न्यूनतम पूर्णांक 45 प्रतिशत होना आवश्यक है तथा अनुसुचित जाति/जनजाति के लिए 5% की छूट अनुमन्य होगी।

(श) एम0कॉम0 में प्रवेश हेतु बी0कॉम0 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(ष) सभी संकायों की प्रथम वर्ष के लिए SRN (Samarth Registration Number) आवेदन-पत्रों के पंजीकरण की सम्भावित तिथि निम्नानुसार जहोगी:-

- स्नातक तथा स्नातकोत्तर/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स इत्यादि प्रथम वर्ष (सभी संकाय) मतें पजीकरण की प्रारम्भ तिथि : 05 मई, 2026
- स्नातक तथा डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स इत्यादि सभी संकाय के प्रथम वर्ष में पंजीकरण की अन्तिम तिथि : 30 जून, 2026
- स्नातक डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स इत्यादि प्रमि वर्ष कक्षाओं में पठन-पाठन प्रारम्भ करने की तिथि : 01 अगस्त 2026
- स्नातकोत्तर एवं विधि त्रिवर्षीय प्रथम वर्ष पंजीकरण की अंतिम तिथि : 15 अगस्त 2026
- उक्त तिथियाँ शासनादेश के अधीन होगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट को देखते रहें।
- उक्त कार्यक्रम/तिथियों में संशोधन/परिवर्तन हेतु प्रवेश समिति द्वारा मा0 कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

3. (अ) किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र एन0ई0पी0-2020 के नियमानुसार प्रवेश लेंगे।

(ब) महाविद्यालय के स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के द्वितीय/तृतीय चतुर्थ वर्ष में सम्बन्धित पिछले वर्ष की कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को प्रवेश मिलेगा, यदि उनको प्रवेश किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित न हों।

(स) नई शिक्षा नीति-2020 में व्यक्तिगत परीक्षा के सम्बन्ध में कोई भी प्राविधान नही है।

(द) नई शिक्षा नीति-2020 में प्रवेश हेतु अर्हता परीक्षा से अन्तराल के सम्बन्ध में कोई भी नियम नहीं है।

(य) कोई भी छात्र एक पाठ्यक्रम में अर्थात् बीए/बीएससी/बीकॉम/बीएससी(कृषि)/बीएड इत्यादि में एक बार उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् पुन: उसी पाठ्यक्रम में प्रवेश का अधिकारी नहीं होगा। परन्तु स्नाकोत्तर नियमानुसार एक से अधिक विषयों में कर सकते हैं।

(र) एन0ई0पी0-2020 के अनुसार प्रवेशित विद्यार्थियों पर सभी नियम एन0ई0पी0-2020 के अनुसार अनुमान्य होगें।

4. (अ) नियमानुसार एलएलबी 06 वर्ष, बीएएलएलबी 08 वर्ष, स्नातक कृषि अधिकतम 07 वर्ष में पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

(ब) कला, विज्ञान एवं वाणिज्य हेतु निम्न व्यवस्था रहेगी।

(i) विद्यार्थी के लिए Certificate in Faculty का Course Module अर्थात् प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 03 वर्ष निर्धारित है। उक्त अवधि में विद्यार्थियों का यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से न्यूनतम अर्ह क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा, उसके पश्चात् विद्यार्थी अगले Course Module अर्थात् Diploma in Faculty में प्रवेश हेतु योग्यता धारित कर सकेगा।

(ii) विद्यार्थी के लिए Diploma in Faculty का Course Module अर्थात् तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 03 वर्ष (Certificate in Faculty पूर्ण करने के उपरान्त 03 वर्ष) निर्धारित है। इस अवधि में विद्यार्थियों को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से न्यूनतम अर्ह क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा इसके पश्चात् विद्यार्थी अगले-अगले Course Module अर्थात् Bachelor in Faculty में प्रवेश हेतु योग्यता धारित कर सकेगा।

(iii) विद्यार्थी के लिए Bachelor in Faculty का Course Module अर्थात् पांचवे एवं छठवें सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 03 वर्ष (Diploma in Faculty पूर्ण करने के उपरान्त 03 वर्ष) निर्धारित है। इस अवधि में विद्यार्थियों को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (पांचवे एवं छठवे सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से न्यूनतम 40 क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा।

(iv) किसी पाठ्यक्रम संरचना (Course Module) के लिए निर्धारित क्रेडिट प्राप्त करने में असफल छात्र के लिए पृथक रूप से पुन: परीक्षा अथवा बैक पेपर परीक्षा आयोजित नहीं की जायेगी। सेमेस्टर प्रणाली की पारम्परिक और प्रचलित व्यवस्था के क्रम में उसे सम अथवा विषम सेमेस्टर की नियमानुसार आयोजित परीक्षा के साथ निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करते हुए पुन: परीक्षा देनी होगी।

आयोजित परीक्षा के साथ निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करते हुए पुन: परीक्षा देनी होगी।

5. प्राचार्य को प्रवेश के मामले में डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा का विवरण पुस्तिका के अध्याय-19 के नीचे उद्घृत अध्यादेश-2 के अनुसार कर्तव्य और अधिकार होगें:-

"Subject to order issued under sub-section (4) of section 28 of the act, the Principal shall be the sole authority to admit or refuse to admit any applicant to any class in his/her college. He shall however, duly and strictly, follow the norms and Pinciples, if any laid down by teh University and such other directions as may be given to him from time to time by the University. Provided theat the Principal may, at his discretion refuse to admit a candidate even if he is entitled for admission according to norms and principles laid down by the University and shall report all such cases to the admission committee forthwith"

स्पष्टीकरण: उदाहरणार्थ निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रवेश देने से इंकार किया जा सकता है।

1. यदि अभ्यर्थी किसी शिक्षा संस्थान में अनुशासनहीनता के आरोप में दोषी पाया गया हो।

2. यदि अभ्यर्थी किसी भी न्यायालय द्वारा नैतिक अपराध में दण्डित किया गया हो या शासन द्वारा किसी अपराध में पंजीकृत किया गया हो और न्यायालय में निर्णय के लिए विचाराधीन हो।

6. (अ) स्नातक कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता निम्न प्रकार होगी:-

(1) बीएससी (फिजीकल साइंस) के लिए इण्टरमीडिएट गणित या समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा में उत्तीर्ण।

(2) बीएससी (लाइफ सांइस) के लिए इण्टरमीडिएट बॉयोलोजी ग्रुप या इण्टर कृषि परीक्षा में उत्तीर्ण।

(3) बीएससी (कृषि) के लिए कला को छोड़कर इण्टरमीडिएट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(4) बीएससी (गृह विज्ञान) में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट कला, विज्ञान एवं वाणिज्य में से किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(5) बीए/बीकॉम के लिए इण्टरमीडिएट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण

(6) सेन्टल बोर्ड ऑफ सैकेडंरी ऐजुकेशन द्वारा निम्न व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार स्नातक स्तर पर विषय के रूप में मान्यता प्रदान की गई, कृपया ऐसे छात्रों को प्रवेश किया जाये।

(List of Career Oriented Vocational Courses offered by the CBSE at Senior Secondary Lvevel along with revised Scheme of Studies)

(परिशिष्ट-1)

(ब) कृषि/विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए बी0एस0सी0 (कृषि)/बी0एस0सी0 परीक्षा में उत्तीर्ण किन्तु स्नातक परीक्षा में 45 प्रतिशत अंकों का होना अनिवार्य है, किन्तु अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को 05 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।
उ0प्र0 बोर्ड/समकक्ष बोर्ड द्वारा यदि ग्रेड दिया जाता है तो ग्रेड प्वाईट/मार्क्स दोनों प्रवेश अर्हता के लिये मान्य होगें।

(स) स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश निम्न प्रकार किये जायेगें:-

(i) उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं में स्थित जनपदों के इण्टरमीडियट कालेजों से उत्तीर्ण अभ्यर्थीयों को प्रवेश दिया जायेगा एवं अभ्यर्थी की इण्टरमीडिएट की अंकतालिका के आधार पर उसका मूल निवास माना जायेगा।

(ii) निर्धारित मेरिट के अर्न्तगत पाये जाने की स्थिति में अधिकतम 30 प्रतिशत स्थानों पर बाहर (Other State & Other Country) से आने वाले छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा। परन्तु यदि निर्धारित संख्या में छात्र/छात्रा नहीं आते है तो उसे उत्तर प्रदेश के अर्ह/पात्र छात्र/छात्राओं से निर्धारित सीटों को भर दिया जायेगा।

(iii) विदेशी छात्रों को तभी प्रवेश दिया जायेगा, जब उनके पास स्टूडेण्ट बीजा हो तथा भारत सरकार के गृहमंत्रालय एवं प्रदेशीय सरकार के विदेशी रजिस्टेशन विभाग द्वारा स्वीकृत हो तथा कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता रखते हो। ऐसे समस्त विदेशी छात्रों को जिन्हें सम्बन्धित दूतावास द्वारा संस्तुत किया गया हो, विश्वविद्यालय की एक समिति द्वारा स्क्रीनिंग करने के उपरान्त कुलसचिव के हस्ताक्षरयुक्त अनुमति पत्र दिये जाने पर ही महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश दिया जायेगा।
समिति के निम्नलिखित सदस्य होगें:-

(i) अधिष्ठाता छात्र कल्याण।

(ii) प्रत्येक जिले का वरिष्ठतम् प्राचार्य-चक्रानुसार।

(iii) अधिष्ठाता शैक्षिक एवं अधिष्ठाता विदेशी छात्र।

नोट:- कोई भी महाविद्यालय एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालय बिना विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के विदेशी छात्रों को प्रवेश नहीं देगा।

(iv) समय-समय पर दिये गये शानादेशों के अनुपाल में किसी भी महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षओं में सांध्यकालीन कक्षाओं के संचालन की अनुमति नही दी गई है। इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।

(v) समिति का यह भी निर्णय है कि शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चत कियाा जाये।

शैक्षिक अंकों की गणना :-

7. (क) स्नातक कक्षायें:-

1. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत अंकों/ग्रेड दोनों।

(ख) स्नातकोत्तर कक्षायें :-

1. स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत अंकों/ग्रेड दोनों।

(ग) विधि पाठ्यक्रम के शैक्षिक अंकों की गणना निम्नवत् होगी:-

(क) बीएएलएलबी स्नातक कक्षायें:-
1. हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत अंकों/ग्रेड दोनों।
2. एण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत अंकों/ग्रेड दोनों।

(ख) एलएलबी विधि स्नातक कक्षायें:-

1. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत अंकों/ग्रड दोनों।

2. स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत।

(ग) एलएलएम स्नातक कक्षायें:-

1. विधि स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत।

नोट:-

1. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्री-यूनिवर्सिटी, प्री-इंजीनियरिंग, प्री-मेडिकल तथा 11+1+3 पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा हायर सैकेन्डरी बोर्ड की 10+2 परीक्षा भी इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्य है।

अतिरिक्त अंक (अधिकतम 17 अंक)

शैक्षिक योग्यता अंको के साथ निम्नलिखित अंकों, जहाँ अनुमन्य हों, को जोडकर योग्यता सूची बनेगी, लेकिन प्रतिबन्ध यह कि अतिरिक्त अंको का कुल योग 17 अंकों से अधिक नहीं होगा।

(क) स्नातक कक्षायें:

1. उत्तर क्षेत्रीय स्तर की टीम के सदस्य के रूप में राज्यस्तरीय राष्टीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए

(क) प्रथम विजेता होने के लिए - 5 अंक।

(ख) द्वितीय विजेता होने के लिए - 4 अंक।

(ग) तृतीय विजेता होने के लिए - 3 अंक।

(घ) प्रतिभाग करने के लिये - 2 अंक।

2.	एन0सी0सी0 "सी" सर्टीफिकेट/जी-2 उत्तीर्ण केडिटों को	8 अंक।
	अथवा	
	एन0सी0सी0 "बी" सर्टीफिकेट/जी-1 उत्तीर्ण केडिटों को	6 अंक।
	अथवा	
	एन0सी0सी0 केडिट जिन्होंने 240 घण्टे कार्य किया है 2 कैम्पों में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है।	3 अंक।
3.	स्वतंत्रता सेनानी पुत्र/पुत्री (अविवाहित अथवा पोत्र/पौत्री)	5 अंक।
4.	राष्टीय सेवा योजना के स्वंय सेवकों को	5 अंक।

5. बी0कॉम0 (प्रथम वर्ष) में प्रवेश के लिये योग्यता अंक की गणना करते समय उन प्रवेशार्थियों को 05 अतिरिक्त अंक दिये जायें, जिन्होंने इण्टरमीडिएट या 10+2 की परीक्षा वाणिज्य (गैर वोकेशनल) से उत्तीर्ण की हों।

(ख) स्नातकोत्तर कक्षायें:-

1. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में राष्टीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये:-

(क)	प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिये -	8 अंक।
(ख)	प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिये -	7 अंक।
(ग)	प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने के लिये -	6 अंक।
(घ)	प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिये -	3 अंक।

2. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए:-

(क)	प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिये -	5 अंक।
(ख)	प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिये -	4 अंक।
(ग)	प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने के लिये -	3 अंक।
(घ)	प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिये -	2 अंक।

3.	एन0सी0सी0 "सी" सर्टीफिकेट/जी-2 उत्तीर्ण केडिटों को	8 अंक।
	अथवा	
	एन0सी0सी0 "बी" सर्टीफिकेट/जी-1 उत्तीर्ण केडिटों को	6 अंक।
	अथवा	
	एन0सी0सी0 केडिट जिन्होंने 240 घण्टे कार्य किया है 2 कैम्पों में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है।	3 अंक।

4. एन0एस0एस0 में 240 घण्टे का कार्य तथा कम से कम एक कैम्प पूरा करने के लिये - 5 अंक।
5. महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने एक रैली में विश्वविद्यालय स्तर पर भाग लिया हो। - 3 अंक।

अथवा

महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने अन्तरविश्वविद्यालय रैली में भाग लिया हो।

(क) प्रथम विजेता होने के लिए - 5 अंक।
(ख) द्वितीय विजेता होने के लिए - 4 अंक।
(ग) तृतीय विजेता होने के लिए - 3 अंक।
(घ) प्रतिभाग करने के लिए - 2 अंक।

नोटः- उपर्युक्त 1 से 5 के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण-पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोटर्स काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित/एन0सी0सी0 अधिकारी/एन0एस0एस0 समन्वयक द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण-पत्र/रोवर्स के लिये समन्वयक (रोवर्स रेंजर्स) द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

(ख) <u>सभी कक्षायें:</u>

1. डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्व महाविद्यालयों में सेवारत एवं स्ववित्त पोषित संस्थान के विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अनुबन्धित प्रवक्ता तथा अवकाश प्राप्त केवल स्थायी/अध्यापकों एवं कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री तथा कृषि संकाय में स्थायीपरियोजनओं के स्थायी कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री।- 17 अंक।
2. भारतीय सेना में सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त अधिकारियों या अन्य रैंक के केवल पति-पत्नी पुत्र-पुत्री (अविवाहित) - 10 अंक।
3. भारतीय सेना/पैरा मिलटी फोर्स/अर्द्ध सैनिक बल (पुलिस/पी0एस0सी0) में कार्य करते हुये विजय के शहीदों के पुत्र/पुत्री/विधवाओं को प्रवेश में। - 17 अंक।

टिप्पणी:

1. प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में शैक्षणिक एवं अतिरिक्त अनुमन्य अंकों की प्रमाणिकता की घोषणा स्वयं करेगा यदि वह यह घोषणा गलत पाई गई तो उसकी पात्रता निरस्त कर दी जायेगी।
2. प्रवेश हेतु वरीयता सूची के घोषित होने के बाद अनुमन्य अंकों के प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें। अन्य कोई अभिलेख बाद में विचारार्थ स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नोटः-

1. किसी व्यक्ति की सेवावनिवृत्त से पूर्व मृत्यु होने की दशा में इस नियम के अर्न्तगत उसको उस समय तक सेवारत समझा जाये, तब तक सेवा में रहने का अधिकारी था।
2. उपर्युक्त "1" से "3" के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण-पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोटर्स काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित/एन0सी0सी0 अधिकारी/एन0एस0एस0 अधिकारियों द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
3. <u>उपर्युक्त अतिरिक्त अंकों का लाभ अभ्यर्थी को एक से अधिक बार दिया जा सकेगा अर्थात् स्नातक एवं परास्नातक स्तर में प्रवेश पर।</u>

8. (अ) कृषि विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में 5 प्रतिशत स्थान ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगें, जो सेवारत हो और जिसकी कम से कम 5 वर्ष की नियमित स्थायी सेवा हो, यदि उनका प्रवेश अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित नहीं हो। ऐसे अभ्यर्थी को नियमित सेवा का प्रमाण पत्र अपने नियोक्ता से लेकर लगाना होगा।

(ब) विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत सीटों के सापेक्ष ही महाविद्यालय प्रवेश लेने हेतु अधिकृत होगें।

(स) विशेष परिस्थितियों में कुलपति को प्रवेश के लिए अनुमति प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

(द) संस्थागत छात्र को किसी भी ऐसे विषय को लेने को अनुमति नहीं दी जायेगी, जिसकी सम्बन्धित महाविद्यालयों में पढ़ाये जाने की व्यवसीा नहीं है अथवा जिसकी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

9. (अ) प्रवेश हेतु नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। नियमों के पालन में किसी भी समस्या अथवा कठिनाई का अनुभव होने पर प्राचार्य, कुलपति को लिखेगें और कुलपति का निर्णय अन्तिम होगा।

(ब) प्राचार्य प्रवेश के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार करके नियमानुसार निर्णय लेगें और किसी भी छात्र के प्रार्थना पत्र का विश्वविद्यालय को अग्रसारित नहीं करेगें।

(स) प्रविष्ट छात्र को कक्षा में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। 15 कार्य दिवस तक निरन्तर अनुपस्थित रहने पर प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। इसका उत्तरदायित्व छात्र का होगा।

(द) अभ्यर्थी का यह दायित्व होगा कि वह महाविद्यालय में अपने प्रवेश के सम्बन्ध में निरन्तर सर्म्पक करता रहे और वेवसाइट पर सूचनाओं/सूचियों की अद्यतन "अपटू-डेट" जानकारी रखें, ताकि निर्धारित अवधि के भीतर प्रवेश ले सकें।

प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी का यह भी दायित्व होगा कि वह ऊपर दिये गये नियमों और विश्वविद्यालय के अन्य सम्बन्धित नियमों को भली भाँति पढ़ लें, उनका यह भी दायित्व होगा कि सुनिश्चित कर लें कि उनका प्रवेश किसी दृष्टिकोण से नियमों के प्रतिकूल तो नहीं हुआ। उसका यह भी दायित्व होगा कि उन्होंने प्रवेश हेतु असत्य अथवा भ्रामक अंक सूची के माध्यम से तो प्रवेश लेने की कोशिश नहीं की है। नियमों के प्रतिकूल किये गये प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त किये जाने की दशा में उत्तरदायित्व सर्वथा अभ्यर्थी का ही होगा।

10. आवेदन यदि किसी अल्पसंख्यक, आरक्षित जाति या किसी विशेष आरक्षण का लाभ लेना चाहते है तो उनके पास दावा किये गये लाभ का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
11. नई शिक्षा नीति-2020 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों को समायोजित कर लिया जायेगा।
12. माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा दिनांक 02.10.2021 के अनुपालन में यदि किसी परिवार की एक से अधिक पुत्री (अर्थात् दो सगी बहनें) परिसर/महाविद्यालय में पढ़ रही हो तो दूसरी पुत्री की ट्यूशन फीस माफ की जायेगी।

शैक्षणिक सत्र 2026–27 में प्रवेश के लिए पंजीकरण दिशा–निर्देश

1. शैक्षणिक सत्र 2026–27 में प्रवेश के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र को भरने के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट https://dbrauadm-samarth-edu-in पर समर्थ पोर्टल के Admission 2025–26 के लिंक पर क्लिक करें। विश्वविद्यालय के आवासीय संस्थानों / विभागों व विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय में प्रवेश समर्थ पोर्टल के माध्यम से ही होगें।
2. प्रवेश प्रक्रिया के 7: चरण हैः–

    2.1 सर्वप्रथम छात्र / छात्रा समर्थ पोर्टल के Admission 2026–27 पर अपना पंजीकरण करेगा।
    - नाम,
    - जन्मतिथि,
    - ई०मेल० आई०डी०
    - मोबाईल न०

    पंजीकरण के समय छात्र द्वारा अपने निम्न दस्तावेज अपलोड किये जायेंगें।
    - 10 अंकपत्र
    - 12 अंकपत्र
    - स्नातक (यदि स्नातकोत्तर में प्रवेश लेना हो तब)

    2.4 लॉगिन करने के बाद समर्थ वेब–रजिस्ट्रेशन का फार्म खुलेगा। इसके पश्चात छात्र अपनी निजी जानकारी भरेगा।

    2.5 इसके पश्चात छात्र / छात्राऐं अपना अन्य विवरण भरेगें। (एन.सी.सी., एन.एस.एस.जैसी जानकारी भरेगा।)

    2.6 इसके उपरान्त छात्र / छात्राऐं अपना फोटोव हस्ताक्षर अपलोड करेगें।

    2.7 विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम व सम्बद्ध महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों का चयन, अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता के अनुरुप Programme को अपनी अर्हता अनुसार चयन करेगा।
3. Programme योग्यता के अनुसार चयन करने के बाद छात्र / छात्राऐं महाविद्यालय का चयन करेगें। जहाँ उसको प्रवेश हेतु रिपोर्ट करना होगा।
4. फार्म पूर्ण होने के बाद छात्र / छात्रा ध्यानपूर्वक Submit& Lock बटन पर क्लिक करेगा।
5. फार्म भरने के बाद निर्धारित शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा करेगा तथा उसकी रसीद डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रखेगा। स्नातक एवं परास्नातक स्तर पर रु. 400 शुल्क देय होगा।
6. यदि किसी विद्यार्थी का पूर्व में ही समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण (जैसे– बी.ए., बी.एस.सी., बी.कॉम. व अन्य पाठ्यक्रमों) है और वह इसी विश्वविद्यालय के आवासीय / सम्बद्ध महाविद्यालय के किसी पाठ्यक्रम (स्नातक / परास्नातक) में प्रवेश लेता है तो वह अपनी समर्थ पंजीकरण संख्या से लॉगिन करके अपने नये पाठ्यक्रम के लिए समर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर (एस.आर.एन.) प्राप्त कर सकता है।
7. अभ्यार्थी फार्म को सबमिट करने के बाद उसका प्रिन्ट आउट निकाल कर सुरक्षित रखेगा एवं इसको लेकर सम्बद्धित महाविद्यालय से सम्पर्क करेगा।
8. अभ्यर्थी का Samarth Registration Number (SRN) मिल जायेगा और प्रवेश फॉर्म का प्रिंट ले कर कॉलेज में रिपोर्ट करेगा जहाँ उसको प्रवेश लेना है। अभ्यर्थी एक बार में एक से ज्यादा महाविद्यालय में रिपा के लिए अपने फार्म को जमा कर सकता है।
9. अभ्यर्थी जब महाविद्यालय में रिपोर्ट करेगा तब महाविद्यालय की तरफ से अभ्यर्थी के पास एक सूचना मोबाइल पर एसएमएस के द्वारा भेजी जायेगी कि आपका प्रवेश फॉर्म महाविद्यालय में जमा हो गया है और उसे एक निश्चित दिनांक को महाविद्यालय में प्रवेश के लिए संपर्क करना है ये सूचना प्रवेश को सुनिश्चित नहीं करेगी।
10. महाविद्यालयों में रिपोर्ट करने के बाद, यह अभ्यर्थी की जिम्मेदारी है कि वह लगातार महाविद्यालयों के सम्पर्क में बना रहे और प्रवेश के लिए महाविद्यालय द्वारा बताए गए नियमों का पालन करता रहें।
11. विषयों का आवंटन, महाविद्यालय द्वारा अभ्यर्थी की प्राथमिकता और उसकी मेरिट के आधार पर ही होगा। यदि अभ्यर्थी विषयों के आवंटन से संतुष्ट नहीं है तब या तो वह महाविद्यालय से विषय परिवर्तन के लिए अनुरोध कर सकता है अथवा किसी अन्य महाविद्यालय में प्रवेश के लिय जा सकता है जहाँ उसने रिपोर्ट किया है।
12. उक्त प्रक्रिया में SRN और Application Form में दी गयी सूचनाओं के लिए अभ्यर्थी स्वंय उत्तरादायी होगा। भविष्य में यदि कोई भी सूचना असत्य पायी जाती है जब उसका पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा, और इस दशा –में उसका प्रार्थना पत्र / प्रवेश निरस्त करने का अधिकार, विश्वविद्यालय / महाविद्यालय का रहेगा।
13. यदि कोई विद्यार्थी किसी महाविद्यालय में प्रथम वरीयता में प्रवेश पा जाता है, प्रवेशोपरांत यदि किसी दूसरे महाविद्यालय में प्रवेश पाना चाहता है तो ऐसी स्थिति में छात्र के द्वारा पूर्व में लिये गये प्रवेश को प्रार्थना पत्र देकर 15 दिवस में रदद् कराना होगा तथा महाविद्यालय द्वारा उसे केवल 90 प्रतिशत शुल्क ही वापिस किया जायेगा। यदि कोई विद्यार्थी 01 माह के अंतराल में किसी महाविद्यालय से अपना प्रवेश रदद् कराता है तो उसे केवल 75 प्रतिशत शुल्क महाविद्यालय द्वारा वापिस किया जायेगा।
14. अभ्यर्थी को समर्थ पोर्टल पर अपने लॉगिन आई०डी० पर प्रवेश की सूचना प्राप्त हो जायेगी।

प्रवेश समितियाँ 2026-27

1. **बी.ए. प्रथम वर्ष**
   - डॉ. आकाश प्रताप — संयोजक
   - डॉ. शफी मोहम्मद — सदस्य
   - डॉ. रुम सिंह — सदस्य
   - श्री राम आशीष — सदस्य
   - डॉ. संजय कुमार सिंह — सदस्य
   - डॉ. हर्षित यादव — सदस्य
   - डॉ. मुकेश कुमार गुप्ता — सदस्य
2. **बी.ए. द्वितीय वर्ष**
   - श्री संजय कुमार सिंह — संयोजक
   - डॉ० अनिल कुमार — सदस्य
   - श्री सुनील यादव — सदस्य
   - श्री दिनेश कुमार — सदस्य
   - डॉ० मुकेश कुमार गुप्ता — सदस्य
3. **बी.ए. तृतीय वर्ष**
   - डॉ० ज्ञानेन्द्र सिंह — संयोजक
   - डॉ. बिजेन्द्र सिंह — सदस्य
   - श्री. नरेन्द्र कुमार — सदस्य
   - डॉ. राकेश कुमार यादव — सदस्य
   - डॉ.जसवंत सिंह — सदस्य
4. **बी.कॉम. प्रथम वर्ष**
   - प्रो. बी.एस. यादव — संयोजक
   - डॉ. बी. के. गुप्ता — सदस्य
   - डॉ. एस. के. गुप्ता — सदस्य
5. **बी.कॉम. द्वितीय वर्ष**
   - डॉ. एस.के. गुप्ता — संयोजक
   - श्री विमल कुमार — सदस्य
6. **बी.कॉम. तृतीय वर्ष**
   - डॉ. बी.के. गुप्ता — संयोजक
   - श्री विमल कुमार — सदस्य
7. **एम.कॉम. (पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध) ग्रुप ए**
   - डॉ. एस.के.गुप्ता — संयोजक
8. **एम.कॉम. (पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध) ग्रुप बी**
   - प्रो. बी.एस. यादव — संयोजक
   - श्री विमल कुमार — सदस्य
9. **एम.कॉम. (पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध) ग्रुप सी**
   - डॉ. बी.के.गुप्ता — संयोजक
10. **एम.ए. (पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध) भूगोल**
    - डॉ. संजीव कुमार यादव — संयोजक
    - श्री. रुम सिंह — सदस्य
11. **एम.ए. (पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध) अंग्रेजी**
    - डॉ. पंकज कुमार — संयोजक
    - श्री राम आशीष यादव — सदस्य
    - डॉ. देवेश कुमार — सदस्य
12. **एम.ए. (पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध) समाजशास्त्र**
    - डॉ. सुनील कुमार यादव — संयोजक
    - डॉ. राजीव कुमार (राजू) — सदस्य
    - डॉ. राकेश कुमार यादव — सदस्य
13. **एम.ए. (पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध) सैन्य विज्ञान**
    - प्रो. (डॉ.) दीदार सिंह — संयोजक
    - डॉ. आकाश प्रताप — सदस्य
    - श्री.धीरज प्रताप — सदस्य
14. **एम.ए. (पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध) राजनीति विज्ञान**
    - डॉ. विजेन्द्र कुमार — संयोजक
    - श्री वेद प्रकाश — सदस्य
    - श्री कुलदीप यादव — सदस्य
15. **बी.एड.**
    - प्रो. संजय कुमार यादव — संयोजक
    - डॉ. आलोक कुमार पाण्डेय — सदस्य
    - श्री अनिल कुमार गुप्ता — सदस्य
    - श्री सुनील कुमार — सदस्य
    - श्री सुगन्ध कुमार — सदस्य
    - डॉ. गीता यादव — सदस्य
16. **एम.एड.**
    - श्री अनिल कुमार गुप्ता — संयोजक
    - श्री प्रशांत कुमार — सदस्य
    - श्री अभिषेक कुमार — सदस्य
    - श्री आशुतोष कुमार — सदस्य
17. **बी.टी.सी.**
    - प्रो० संजय कुमार यादव — संयोजक
    - श्री वीर बहादुर — सदस्य
    - श्रीमती अनीता बघेल — सदस्य
    - श्री रविन्द्र कुमार — सदस्य
18. **बी.पी. एड.**
    - प्रो. जगदीश यादव — संयोजक
    - डॉ. वी जॉन — सदस्य
    - डॉ. अनिल कुमार बघेल — सदस्य
    - डॉ. मो० शहनवाज — सदस्य
    - डॉ. त्रिभुवन यादव — सदस्य
19. **बी.एस-सी. कृषि**
    - डॉ. जगदीश यादव — संयोजक
    - श्री संजीव कुमार — सदस्य
    - डॉ. ब्रजेश कुमार — सदस्य
    - इंजी. दुष्यन्त चतुर्वेदी — सदस्य
    - डॉ. रुपेश कुमार — सदस्य
    - डॉ. नरेन्द्र गंगवार — सदस्य

महाविद्यालय की शैक्षणिक समितियाँ सत्र- 2026-27

1. अनुशासन समिति

- प्रो. संजय कुमार यादव — मुख्य अनुशासक अधिकारी
- डॉ गीता यादव — सदस्य
- डॉ. संजीव कुमार यादव — सदस्य
- डॉ. जसवंत सिंह — सदस्य
- श्री. विमल कुमार — सदस्य
- डॉ. देवेश कुमार — सदस्य
- श्रीमती प्रैटी सिंह यादव — सदस्य

2. वार्षिक पत्रिका समिति

- डॉ० संजीव कुमार यादव — प्रधान सम्पादक
- श्री सुंगंध कुमार — सदस्य
- डॉ. मुकेश कुमार गुप्ता — सदस्य
- डॉ. राम आशीष यादव — सदस्य
- श्री नरेन्द्र सिंह — सदस्य
- डॉ. संजय कुमार सिंह — सदस्य
- श्री हर्षित यादव — सदस्य

3. भवन निर्माण एवं मरम्मत समिति

- प्रो.जगदीश यादव — प्रभारी
- डॉ. संजीव कुमार यादव — सदस्य
- श्री. विमल कुमार यादव — सदस्य
- डॉ. पंकज यादव — सदस्य
- श्री रामनिवास — सदस्य

4. क्रय समिति

- प्रो. संजय कुमार यादव — प्रभारी
- डॉ. बी.के. गुप्ता — सदस्य
- श्री नरेन्द्र सिंह — सदस्य
- डॉ. आकाश प्रताप — सदस्य
- डॉ. एस.क्यू. ए. रिजवी — सदस्य
- श्रीमती प्रैटी सिंह यादव — सदस्य
- श्री जुगल किशोर — सदस्य

5. सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति

- डॉ. संजय कुमार सिंह — प्रभारी
- श्री अनिल कुमार गुप्ता — सदस्य
- श्री आलोक पाठक — सदस्य
- डॉ. शफी मोहम्मद — सदस्य
- डॉ. राकेश कुमार यादव — सदस्य
- श्री हर्षित यादव — सदस्य
- डॉ.नरेन्द्र गंगवार — सदस्य

6. आई.क्यू.ए.सी.

- प्रो. संजय कुमार यादव — प्रभारी
- प्रो. भीमसेन यादव — सदस्य
- डॉ. जसवन्त सिंह — सदस्य
- डॉ. आकाश प्रताप — सदस्य
- डॉ. पंकज यादव — सदस्य
- डॉ० गीता यादव — सदस्य

7. तकनीकी समिति

- डॉ. जसवंत सिंह — प्रभारी
- श्री सुनील कुमार — सदस्य
- डॉ. अनिल कुमार यादव — सदस्य
- श्री धीरज प्रताप — सदस्य
- श्री संदीप कुमार — सदस्य

8. विद्यार्थी कल्याण समिति

- प्रो. संजय कुमार यादव — प्रभारी
- डॉ. एस.के.गुप्ता — सदस्य
- डॉ. संजीव कुमार यादव — सदस्य
- डॉ. आलोक कुमार पाण्डेय — सदस्य
- श्रीमती प्रैटी सिंह यादव — सदस्य
- प्राचार्य द्वारा नामित विद्यार्थी
- प्राचार्य द्वारा नामित विद्यार्थी

9. महिला सुरक्षा समिति

- डॉ. गीता यादव — प्रभारी
- श्री. नरेन्द्र सिंह — सदस्य
- डॉ. आलोक कुमार पाठक — सदस्य
- श्रीमती अनीता बघेल — सदस्य
- श्रीमती प्रैटी सिंह यादव — सदस्य
- प्राचार्य द्वारा नामित छात्रा
- प्राचार्य द्वारा नामित छात्रा

10. विश्वविद्यालयीय कार्य सम्बन्धी समिति

महाविद्यालय की शैक्षणिक समितियाँ सत्र- 2026-27

- श्री. ए.के. गुप्ता — प्रभारी
- डॉ. आलोक कुमार पाठक — सदस्य
- श्री जुगल किशोर — सदस्य
- श्री संदीप कुमार — सदस्य
- श्री लोकेन्द्र प्रकाश — सदस्य

11. शोध एवं विकास प्रकोष्ठ

- प्रो. संजय कुमार यादव — समन्वयक
- प्रो. बी.एस. यादव — सदस्य
- डॉ. गीता यादव — सदस्य
- डॉ. बिजेन्द्र कुमार — सदस्य
- डॉ. शफी मोहम्मद — सदस्य

12. एंटी रैगिंग समिति

- डॉ. गीता यादव — प्रभारी
- डॉ. बिजेन्द्र कुमार — सदस्य
- श्री दिनेश कुमार — सदस्य
- श्री सुगन्ध कुमार — सदस्य
- श्री वीर बहादुर — सदस्य
- प्राचार्य द्वारा नामित विद्यार्थी
- प्राचार्य द्वारा नामित विद्यार्थी

13. छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति समिति

- श्री. रुम सिंह — सदस्य ओ.बी.सी. वर्ग
- श्री ज्ञानेन्द्र सिंह — सदस्य सामान्य वर्ग
- डॉ. आकाश प्रताप — सदस्य अनुसूचित वर्ग
- डॉ. शफी मौहम्मद — सदस्य अल्पसंख्यक वर्ग
- श्री जुगल किशोर — कार्यालय सदस्य

14. छात्रावास

- डॉ. ज्ञानेन्द्र सिंह — प्रभारी
- डॉ. आकाश प्रताप — सदस्य

15. राष्ट्रीय सेवा योजना

- डॉ. संजीव कुमार यादव — कार्यक्रम अधिकारी
- श्री विमल कुमार — कार्यक्रम अधिकारी
- श्रीमती प्रैटी सिंह यादव — सदस्य

16. स्काउट एवं गाइड

- डॉ. विजय शंकर — संयोजक (रोवर्स)
- श्रीमती अनीता बघेल — संयोजिका (रेंजर्स)

17. एन.सी.सी.

- प्रो. जगदीश यादव

18. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)

- प्रो. संजय कुमार यादव — कोर्डिनेटर
- श्री सुगंध कुमार — सह-कोर्डिनेटर
- श्री रामनिवास — सहायक
- श्री लोकेन्द्र प्रकाश — सहायक

19. खेल-कूद

- प्रो. जगदीश यादव — संयोजक
- श्री. सुनील कुमार — सदस्य
- डॉ. जसवंत सिंह — सदस्य
- श्री. विमल कुमार — सदस्य
- श्री. हर्षित यादव — सदस्य

20. विद्युत व्यवस्था समिति

- डॉ. संजीव कुमार यादव — प्रभारी
- श्री सुनील यादव — सदस्य
- डॉ. वी.के.गुप्ता — सदस्य
- श्री. रुम सिंह — सदस्य

21. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

- डॉ. पंकज कुमार — कोर्डिनेटर
- श्री संदीप कुमार — सहायक

22. पेयजल व्यवस्था समिति

- श्री ऐ.के.गुप्ता — प्रभारी
- श्री विमल कुमार — सदस्य
- डॉ. राजीव कुमार राजू — सदस्य
- डॉ. शिवभूषण सिंह — सदस्य
- डॉ. नरेन्द्र सिंह धाकड़ — सदस्य
- श्री वेद प्रकाश — सदस्य

महाविद्यालय की शैक्षणिक समितियाँ सत्र- 2026-27

23. सफाई व्यवस्था समिति

● श्री सुनील कुमार	प्रभारी
● श्री नरेन्द्र सिंह	सदस्य
● श्री धीरज प्रताप	सदस्य
● श्री दुष्यन्त चतुर्वेदी	सदस्य
● श्री जुगल किशोर	सदस्य

24. प्रचार एवं मीडिया सैल

● डॉ. संजीव कुमार यादव	प्रभारी
● डॉ. आलोक कुमार पाण्डेय	सदस्य
● डॉ. जसंवत सिंह	सदस्य
● श्री हर्षित यादव	सदस्य
● श्री विमल कुमार	सदस्य
● डॉ राकेश कुमार यादव	सदस्य
● श्री अमित कुमार	सदस्य

25. नैक समिति

● प्रो. भीमसेन यादव	प्रभारी
● डॉ. आकाश प्रताप	सदस्य
● डॉ. आलोक पाठक	सदस्य
● डॉ. पंकज कुमार	सदस्य
● श्री.सुगन्ध कुमार	सदस्य
● डॉ. जसवंत सिंह	सदस्य
● डॉ. संतोष कुमार	सदस्य
● श्री रामआशीष	सदस्य
● श्री विमल कुमार	सदस्य

26. पर्यावरण समिति

● डॉ. बृतेन्द्र कुमार गुप्ता	प्रभारी
● डॉ. आलोक कुमार पाण्डेय	सदस्य
● श्री सुनील कुमार	सदस्य
● श्री रुम सिंह	सदस्य
● डॉ. शफी मो.	सदस्य
● श्री नरेन्द्र सिंह	सदस्य

27. पुस्तकालय समिति

● प्रो. संजय कुमार यादव	प्रभारी
● प्रो. जगदीश यादव	सदस्य
● डॉ. आकाश प्रताप	सदस्य
● श्री दिनेश कुमार	सदस्य
● डॉ. मुकेश कुमार गुप्ता	सदस्य
● श्री नरेन्द्र सिंह	सदस्य
● डॉ. ज्ञानेन्द्र सिंह	सदस्य
● डॉ. संजय कुमार सिंह	सदस्य
● डॉ. पंकज कुमार	सदस्य
● श्री वीर बहादुर	सदस्य
● श्री आशुतोष	सदस्य
● श्री संजीव कुमार	सदस्य

28. परीक्षा समिति

● डॉ.जसवंत सिंह	प्रभारी
● डॉ.वी.के. गुप्ता	सदस्य
● डॉ. संजीव कुमार यादव	सदस्य
● डॉ. पंकज कुमार	सदस्य
● डॉ. दिनेश कुमार	सदस्य
● डॉ. राजीव कुमार राजू	सदस्य
● डॉ. सुगन्ध कुमार	सदस्य
● डॉ. देवेश कुमार	सदस्य
● डॉ. अनिल बघेल	सदस्य
● श्री संजीव कुमार (एजी)	सदस्य

29. वित्त समिति

● प्रो. भीमसैन यादव	प्रभारी
● डॉ. वी.के. गुप्ता	सदस्य
● श्री. विमल कुमार	सदस्य
● डॉ. ज्ञानेन्द्र सिंह	सदस्य
● लेखाकार	सदस्य

30. समर्थ पोर्टल समिति

● डॉ. जसवंत सिंह	संयोजक
● श्री. विमल कुमार	सदस्य
● डॉ. शफी मोहम्मद	सदस्य
● डॉ. आलोक पाठक	सदस्य
● डॉ. सुनील कुमार	सदस्य
● श्री संदीप कुमार	सदस्य

31. क्रिप्स 43 पॉइंट

● डॉ.बी.के. गुप्ता	संयोजक
● डॉ. सुनील गुप्ता	सदस्य
● डॉ. आकाश प्रताप	सदस्य

31. स्वयम पोर्टल

● डॉ. अनिल कुमार यादव	संयोजक
● डॉ. शफी मोहम्मद	सदस्य
● डॉ. वी.के. गुप्ता	सदस्य

महाविद्यालय छात्रावासों का फीस विवरण वार्षिक

आवेदन पत्र — नि :शुल्क

कमरे का किराया प्रति छात्र
चिकित्सा शुल्क
विद्युत शुल्क
समाचार पत्र/पत्रिका
विकास शुल्क
परिचय पत्र शुल्क

कुल योग– 10,100.00/– रुपये प्रति वर्ष

छात्रावास सत्र 1 जुलाई से 30 जून तक होगा।

नोट–

1. 30 जून को छात्रावास खाली करना होगा। अगले सत्र में 1 जुलाई से पुन: प्रवेश ले सकते हैं।
2. छात्रावास में मैस (भोजनालय) की सुविधा अनिवार्य है जो छात्रों द्वारा परस्पर सहयोग से संचालित होगी तथा इसका पूर्ण हिसाब छात्रों के पास रहेगा।
3. सोलर सिस्टम से बिजली उपलब्ध है।

ब्यॉज हॉस्टल

महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्वीकृत सीटों का विवरण

कक्षा	प्रवेश हेतु आवंटित सीट	सामान्य जाति (50%)	ई.डब्ल्यू. एस.	पिछड़ी जाति (27%)	अनु.जा./ज.जा. (23%)
B.A.-I, II, III	480	192	48	130	110
B.Com.-I, II, III	240	96	24	65	55
M.Com. (Pre. & Final)					
Gr.-I A	80	32	8	22	18
Gr.-II B	80	32	8	22	18
Gr.-III C	80	32	8	22	18
M.A. (Pre. & Final)					
Geography	60	24	6	16	14
DSST	60	24	6	16	14
Political Science	80	32	8	22	18
English	80	32	8	22	18
Sociology	80	32	8	22	18
B.Ed.	150	60	15	41	34
M.Ed.	35	15	03	09	08
B.T.C.	50	20	05	14	11
B.P.Ed.	50	20	05	14	11
B.Sc. (Agril.)	180	72	18	49	41

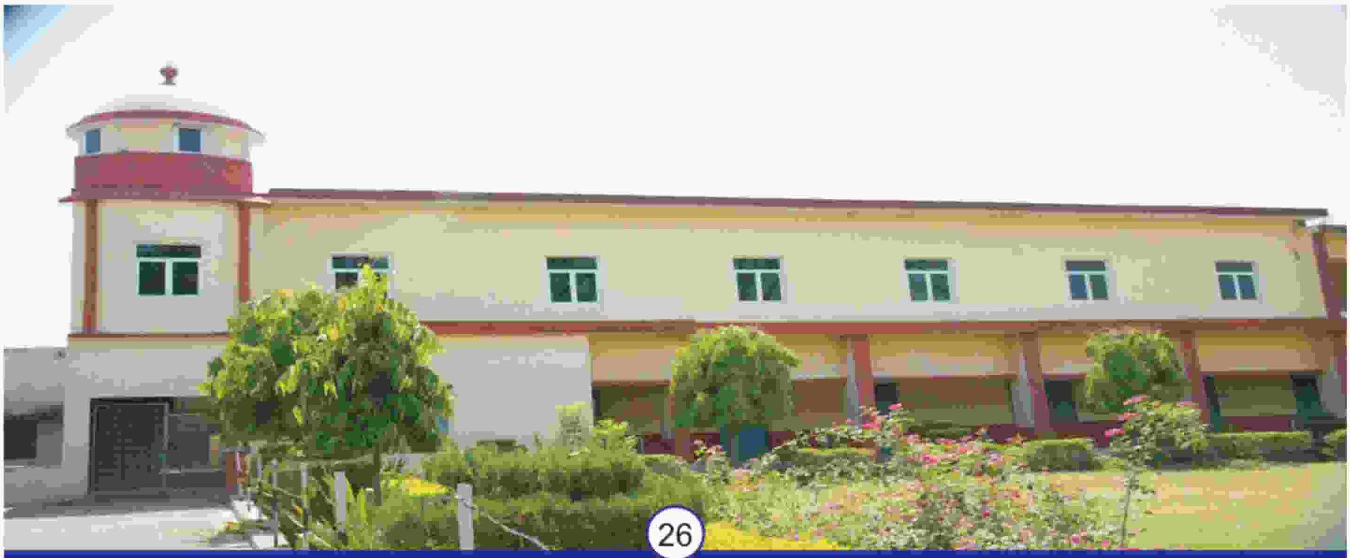

उ.प्र. शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फीस

MAINTENANCE FUND (अनुरक्षण कोष)					
क्र.स.	फीस के प्रकार	B.A. / B.Com.		M.A./ M.Com.	B.Ed.
		छात्र	छात्रा		
1.	TUITION FEE	132.00	-	180.00	180.00
2.	ADMISSION FEE	3.00	3.00	3.00	3.00
3.	REGISTRATION FEE	25.00	25.00	25.00	25.00
4.	HOT & COLD FAN	100.00	100.00	100.00.	100.00.
5.	DEARNESS ALLOWANCES	240.00	240.00	240.00	240.00
6.	DEVELOPMENT FEE	30.00	30.00	30.00	30.00
7.	LIBRARY AND READING ROOM	60.00	60.00	68.00	68.00
BOYS FUND (विद्यार्थी कोष)					
1.	POOR BOYS FUND	12.00	12.00	12.00	12.00
2.	STUDENT'S AID FUND	12.00	12.00	12.00	12.00
3.	MAGAZINE	50.00	50.00	50.00	50.00
4.	BUILDING REPAIRING	30.00	30.00	30.00	30.00
5.	ANNUAL FUNCTION	10.00	10.00	10.00	10.00
6.	IDENTITY CARD	8.00	8.00	8.00	8.00
7.	GAMES	300.00	300.00	300.00	300.00
8.	MEDICAL FEE	12.00	12.00	12.00	12.00
9.	CULTURAL ACTIVITES	100.00	100.00	100.00	100.00
	TOTAL	1124.00	992.00	1180.00	1180.00
10.	SCOUT GUIDE/ ROVERS RANGER	50.00	50.00	-	1000.00
11.	ENROLLMENT FEE (ONLY I YEAR)	300.00	300.00	-	-
12.	ICT Fee	200.00	200.00	200.00	200.00
13.	PRACTICAL FEE (PER PRATICAL SUBJECT)	265.00	265.00	265.00	265.00
14.	UNIVERSITY EXAMINATION FEE	1600.00	1600.00	4070.00	4070.00
	TOTAL	-	-	-	6350.00
15.	DEGREE FEE (First Sem)	300.00	300.00	300.00	300.00
16.	CYCLE STAND	50.00	50.00	50.00	50.00

स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों की शुल्क

क्र.स.	पाठ्यक्रम	प्रत्येक वर्ष (दोनो सेमेस्टर)	वि.वि. परीक्षा शुल्क
1.	M.A.(Socology), M.A.(Mill.Sci.), M.A. (English), M.A. (Pol. Sci.)	9850.00	इसी में सम्मिलित है
2.	B.Sc. (Ag.)	14950.00	इसी में सम्मिलित है
3.	B.P.Ed.	26000.00	इसी में सम्मिलित है
4.	D.L.ED.(B.T.C.)	26500.00	इसी में सम्मिलित है
5.	M.Ed.	38000.00	इसी में सम्मिलित है

महाविद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षक

प्रो. (डॉ०) दीदार सिंह

प्राचार्य

(मो. 9411060080)

कला संकाय

1. हिन्दी विभाग

1. श्री दिनेश कुमार , एम.ए. नेट, प्रभारी
2. श्री नरेन्द्र सिंह, एम.ए. नेट
3. श्री हर्षित यादव, एम.ए. नेट
4. रिक्त
5. रिक्त

2. अंग्रेजी विभाग

1. डॉ. पंकज यादव, एम.ए. नेट,पी.एच.डी., प्रभारी
2. डॉ. राम आशीष, एम.ए.,पी.एच.डी.,नेट
3. डॉ. देवेश कुमार यादव, एम.ए., पी-एच.डी. (अनुमोदित)
4. डॉ. रेखा यादव, एम.ए., पी-एच.डी.(अनुमोदित)

3. संस्कृत विभाग

1. डॉ. मुकेश कुमार गुप्ता, एम.ए., नैट, पी-एच.डी.

4. भूगोल विभाग

1. डॉ. संजीव कुमार यादव, एम.ए., पी-एच.डी. प्रभारी
2. श्री रुम सिंह एम.ए.,नैट
3. रिक्त
4. रिक्त
5. रिक्त

5. राजनीतिशास्त्र विभाग

1. डॉ. बिजेन्द्र कुमार यादव, एम.ए., नेट, पी-एच.डी., प्रभारी
2. श्री वेद प्रकाश, एम.ए., नेट, (अनुमोदित)
3. श्री कुलदीप यादव,एम.ए. नेट (अनुमोदित)

6. दर्शनशास्त्र विभाग

1. श्री संजय कुमार सिंह,एम.ए., नेट

7. सैन्य अध्ययन विभाग

1. प्रो. (डॉ.) दीदार सिंह यादव, एम.ए. ,पी.एच.डी., प्रभारी
2. डॉ. आकाश प्रताप, एम.ए. नेट,पी-एच.डी.
3. श्री धीरज प्रताप, एम.ए., नेट (अनुमोदित)
4. डॉ. सुधीर यादव, एम.ए., पी.एच.डी.(अनुमोदित)

8. अर्थशास्त्र विभाग

1. श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, एम.ए. नेट

9. समाजशास्त्र विभाग

1. श्री सुनील यादव, एम.ए., नेट, प्रभारी
2. डॉ. राजीव कुमार, एम.ए. नेट, पी-एच.डी.
3. डॉ. राकेश कुमार यादव, एम.ए., पी-एच.डी. (अनुमोदित)
4. डॉ. विवेक अग्रवाल, एम.ए., पी-एच.डी.(अनुमोदित)
5. रिक्त

वाणिज्य संकाय

1. व्यावसायिक प्रशासन विभाग

1.डॉ. सुनील कुमार गुप्ता, एम.कॉम. पी-एच.डी. प्रभारी
2. रिक्त

2.लेखा एवं विधि विभाग

1. प्रो. भीमसेन यादव, एम.कॉम., पी-एच.डी., नेट प्रभारी
2. श्री विमल कुमार, एम.कॉम., नेट
3. रिक्त

3. व्यवहारिक व्यवसायिक अर्थशास्त्र

1. डॉ. बितेन्द्र कुमार गुप्ता, एम.कॉम., पी-एच.डी. प्रीभारी
2. रिक्त

महाविद्यालय के शिक्षक

शारीरिक शिक्षा

1. प्रो. (डॉ.) जगदीश यादव, एम०पी०एड०, नेट, पी-एच.डी., प्रभारी
2. डॉ. जसवन्त सिंह, एम०पी०एड०,नेट, पी-एच.डी.
3. डॉ. शफी मोहम्मद, एम०पी०एड०, नेट, पी-एच.डी.
4. डॉ. अनिल कुमार, एम०पी०एड०, नेट, पी-एच.डी.
5. श्री विजय शंकर, एम०पी०एड०, नेट

बी.टी.सी. विभाग

1. श्रीमती अनीता बघेल, एम.ए., बी.एड., एम.फिल.अनुमोदित प्रवक्ता, प्रभारी
2. श्री वीर बहादुर, एम.एस-सी, एम. एड. अनुमोदित प्रवक्ता,
3. श्री रविन्द्र कुमार, एम.ए., एम.एड., अनुमोदित प्रवक्ता

बी.पी.एड. विभाग

1. प्रो. जगदीश यादव, एम०पी०एड०, नेट, प्रभारी
2. डॉ. अनिल कुमार, एम.पी.एड. नेट.(अनुमोदित)
3. श्रीमती बबिता टिम्मल, एम.पी.एड. नेट.(अनुमोदित)
4. श्री शरत दास, एम.पी.एड. नेट.(अनुमोदित)
5. श्री अरूण कुमार,एम.पी.एड. नेट.(अनुमोदित)
6. डॉ. मो. शाहनवाज,एम.पी.एड. नेट.,पी-एच.डी.(अनुमोदित)
7. श्री त्रिभुवन यादव,एम.पी.एड. नेट.(अनुमोदित)
8. श्रीमती रेनू यादव.पी.एड. नेट.(अनुमोदित)
9. श्री रवी शंकर वर्मा,एम.पी.एड. नेट.(अनुमोदित)
10. श्री दीपक चौहान,एम.पी.एड. नेट.(अनुमोदित)

शिक्षा और प्रशिक्षण संकाय

1. प्रो.(डॉ.) संजय कुमार यादव, एम.एस-सी., एम.एड., पी-एच.डी.
2. श्री अनिल कुमार गुप्ता, एम.ए., एम.एड., एम.फिल.
3. डॉ. गीता यादव, एम.एस-सी. , एम.एड., पी-एच.डी.
4. डॉ. आलोक कुमार पाण्डेय, एम.एड., पी-एच.डी.
5. श्री आलोक पाठक, एम.एड., नेट,
6. श्री सुनील कुमार, एम.एड., नेट,
7. श्री सुगन्ध कुमार, एम.एड., नेट,
8. रिक्त
9. रिक्त
10. रिक्त
11. रिक्त
12. रिक्त
13. डॉ. अश्वनी कुमार, एम.एड., पी-एच.डी., अनुमोदित (अवकाश)
14. श्री प्रशान्त , एम.एड., नेट, अनुमोदित
15. श्री अभिषेक कुमार, एम.एड., नेट, अनुमोदित
16. श्री आशुतोष यादव, एम.एड., नेट,अनुमोदित
17. श्रीमती कुसुम, एम.एड., नेट, अनुमोदित

कृषि संकाय

1. श्री संजीव कुमार, एम.एस-सी., नेट, अनुमोदित
2. डॉ. ब्रजेश कुमार, एम.एस-सी., पी-एच.डी., नेट ,अनुमोदित
3. डॉ. मथुरा प्रसाद गौतम, एम.एस-सी. पी-एच.डी., अनुमोदित
4. इंजी. दुष्यन्त चतुर्वेदी, एम.टैक ,अनुमोदित
5. डॉ. तोशेन्द्र शाह ,एम.एस.सी., पी.एच.डी., अनुमोदित
6. डॉ० रुपेश कुमार, एम.एस.सी., पी-एच.डी., अनुमोदित
7. डॉ० नरेन्द्र गंगवार, एम.एस.सी., पी-एच.डी., अनुमोदित
8. डॉ० नरेन्द्र कुमार धाकड, एम.एस.सी., पी-एच.डी., अनुमोदित
9. डॉ० शिव भूषण सिंह, एम.एस.सी., पी-एच.डी., अनुमोदित

महाविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारी

कार्यालय

1.	श्रीमती प्रेटी सिंह यादव	कार्यालय अधीक्षक
2.	रिक्त	आशुलिपिक
3.	डॉ. एस.ए.ए.क्यू. रिजवी एम.ए., पी.एच.डी.	लेखाकार
4.	श्री जुगल किशोर, एम.कॉम.	कनिष्ठ सहायक
5.	श्री रामनिवास, एम.कॉम. (ग्रुप ए एवं बी)	कनिष्ठ सहायक

कार्यालय

1.	श्री प्रेम सिंह यादव	कार्यालय परिचर
2.	श्रीमती ऊषा देवी	परिचर
3.	श्री मुकेश कुमार	परिचर
4.	श्री विवेक शर्मा	कार्यालय परिचर
5.	श्री राजवीर सिंह	सफाई कर्मी
6.	पुत्तू लाल	सफाई कर्मी
7.	रिक्त	माली / परिचर
8.	रिक्त	दफ्तरी
9.	रिक्त	कार्यालय परिचर
10.	रिक्त	कार्यालय परिचर

पुस्तकालय

1.	डॉ. सन्तोष कुमार यादव, एम.ए., एम.लिव.	असि. प्रोफेसर (पुस्तकालयाध्यक्ष)
2.	श्री कुलदीप सिंह, बी.ए., एम.लिव.	उप-पुस्तकालयाध्यक्ष
3.	श्री राजेश यादव	पुस्तकालय सहायक
4.	श्री राजेश कुमार	पुस्तकालय परिचर
5.	रिक्त	पुस्तकालय परिचर
6.	रिक्त	पुस्तकालय परिचर

प्रयोगशाला

1.	रिक्त	प्रयोगशाला सहायक (भूगोल)
2.	श्री हरेन्द्र सिंह	प्रयोगशाला परिचर (भूगोल)
3.	श्री उदय प्रताप सिंह	प्रयोगशाला परिचर (सैन्य अध्ययन)

अस्थाई कर्मचारी (स्ववित्त पोषित)

1.	श्री अमित कुमार, बी.एस-सी., एम.आई.टी.	कनिष्ठ सहायक
2.	श्री लोकेन्द्र प्रकाश, एम.ए.	कनिष्ठ सहायक
3.	श्री सन्दीप कुमार	कनिष्ठ सहायक
4.	श्री सचिन यादव	कनिष्ठ सहायक
5.	श्री भानुप्रताप सिंह	परिचर (बी.एड. विभाग)
6.	श्री उमेश कुमार	परिचर (बागवानी)
7.	श्री दिलीप कुमार	परिचर (वाणिज्य)
8.	श्री शिवा	परिचर (खेलकूद)
9.	श्री पंकज	परिचर (कृषि विभाग)
10.	श्री धर्मवीर	परिचर
11.	श्री विजय पाल यादव	रात्रि कालीन चौकीदार
12.	श्री अंकित कुमार	माली

छात्रावास

1.	श्री जयदेव	परिचर
2.	श्री शिव शंकर	परिचर
3.	श्री शिवदत्त	परिचर

साइकिल स्टेंड

1.	श्री पंकज यादव	परिचर

महाविद्यालय के प्राचार्यों का कार्यकाल
(संस्था स्थापित सन् 1916 एवं डिग्री कॉलेज स्थापित सन् 1947)

क्र.सं.	नाम	कार्यकाल (कब से कब तक)
1.	डॉ. काशी प्रसाद माथुर, पी–एच.डी.	01.08.1947 – 01.08.1949
2.	श्री सी.पी. श्रीवास्तव, एम.कॉम.	02.08.1949 – 13.07.1952
3.	श्री ए.के. मुखर्जी, एम.ए.	14.07.1952 – 06.05.1953
4.	श्री. ए.के. सान्याल, एम.एस–सी., टी.डिप.	07.05.1953 – 23.09.1953
5.	डॉ. पी.एन. कुलश्रेश्ठ, पी–एच.डी.	24.10.1953 – 16.06.1955
6.	श्री एच. घोश, एम.ए.	17.06.1955 – 30.06.1960
7.	श्री आइ.बी. वर्मा, एम.ए.	01.07.1960 – 23.06.1964
8.	श्री महेन्द्रपति यादव, एम.ए. (कार्यवाहक)	24.06.1964 – 01.12.1965
9.	श्री दिग्विजय सिंह यादव, एम.ए.	02.12.1965 – 12.05.1968
10.	श्री महेन्द्रपति यादव, एम.ए. (कार्यवाहक)	13.05.1968 – 30.08.1968
11.	श्री महेन्द्रपति यादव, एम.ए.	31.08.1968 – 01.04.1976
12.	श्री रामप्रसाद यादव, एम.ए.,एम.कॉम. (कार्यवाहक)	02.04.1976 – 04.01.1977
13.	डॉ. राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी, डी.लिट.	05.01.1977 – 30.06.1980
14.	श्री रामप्रसाद यादव, एम.ए.,एम.कॉम.	01.07.1980 – 30.06.1985
15.	डॉ. चन्द्र नारायण द्विवेदी, पी–एच.डी.	01.07.1985 – 23.06.2000
16.	डॉ. बी.आर.एस. यादव, पी–एच.डी. (कार्यवाहक)	01.07.2000 – 31.12.2001
17.	डॉ. आर.पी. पाण्डेय, पी–एच.डी. (कार्यवाहक)	01.01.2001 – 17.02.2009
18.	डॉ. आर. के. सिंह, एम.एस.सी. (कृषि), पी.एच–डी.	18.02.2009 – 11.08.2016
19.	डॉ. जी.के. गुप्ता, एम.कॉम., पी–एच.डी. (कार्यवाहक)	12.08.2016 से 27.09.2020
20.	डॉ. यू.सी. यादव, एम.ए., पी–एच.डी. (कार्यवाहक)	28.09.2020 से 26.07.2021
21.	डॉ. अतुल कुमार, एम.ए., पी–एच.डी. (कार्यवाहक)	27.07.2021 से 23.08.2021
22.	डॉ. मौकम सिंह यादव एम.ए.,पी–एच.डी. (कार्यवाहक)	24.08.2021 से 12.03.2024
23.	प्रो. (डॉ.) दीदार सिंह एम.ए.,पी–एच.डी. (कार्यवाहक)	13.03.2024 से ....

राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S)

प्राथमिक विद्यालय
नीम खेरिया

राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S)
ए.के. कॉलेज, शिकोहाबाद

''शिक्षा मानव को बन्धनों से मुक्त करती है और आज के युग में तो यह लोकतंत्र की भावना का आधार भी है। जन्म तथा अन्य कारणों से उत्पन्न जाति एवं वर्गगत विषमताओं को दूर करते हुए मनुष्य को इन सबसे ऊपर उठाती है।''

—इन्दिरा गाँधी

जन्म तिथि - 19 नवम्बर 1917 पुण्य तिथि - 31 अक्टूबर 1984

''इग्नू अध्ययन केन्द्र-27104, ए.के. कॉलेज, शिकोहाबाद''

'सबको शिक्षा, सबको ज्ञान'
'हम पुहचें वहाँ, पहुँचा न कोइ जहाँ'

राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन

जन्मतिथि– 1 अगस्त 1882
पुण्य तिथि– 1 जुलाई 1962

उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

ए.के. कॉलेज, शिकोहाबाद
अध्ययन केन्द्र कोड– एस575

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

(इन्दिरा गान्धी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय)

IGNOU COURSES

स्नातक– बी.ए. (सामान्य), बी.ए. (आनर्स), बी.कॉम

स्नातकोत्तर– हिन्दी (एमएमचडी), अंग्रेजी (एमजी)
अर्थशास्त्र (एमएचडी), राजनीति विज्ञान (एपीएस)
लोकप्रशासन (एमपीए), समाजशास्त्र (एमएसओ)
ग्रामीण विकास (एमआरडी), कॉमर्स (एमकॉम)
पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन (एमटीटीएम)

सर्टिफिकेट–

सूचना प्रोधोगिकी में प्रमाणप (सीआइटी)
पर्यावरण अध्ययन में प्रमाण पत्र (सीईएस)
निदेशन में प्रमाणपा (सीरआईजी)

www.akcollege.org

Station Road, Shikohabad,
Firozabad, U.P. - 283141

05676-234416